

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-123

जिसका उत्तर 26 जुलाई, 2018 को दिया जाना है ।

डीडीयूजीजेवाई का मूल्यांकन

*123. श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पंजाब में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के कार्य-निष्पादन का कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके निष्कर्ष क्या हैं तथा विगत तीन वर्षों के दौरान विद्युतीकृत किये गए गांवों की संख्या कितनी है और राज्य में अविद्युतीकृत गांवों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या शेष गांवों को विद्युतीकृत करने के लिये कोई कदम उठाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"डीडीयूजीजेवाई का मूल्यांकन" के बारे में लोक सभा में दिनांक 26.07.2018 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 123 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) : दीन दयाल ग्राम उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत, पंजाब राज्य के लिए 251.99 करोड़ रुपए की परियोजनाएं संस्वीकृत की गई हैं। 22.07.2018 की स्थिति के अनुसार, संस्वीकृत कार्यों तथा उनकी प्रगति की स्थिति इस प्रकार है :-

क्रम सं.	मद	यूओएम	संस्वीकृत मात्रा	उपलब्धि
1	फीडर पृथक्करण (11 केवी लाइन)	सीकेएम	13.61	-
2	33/11 केवी उपकेंद्र: क. नए ख. संवर्द्धन	सं.	-	-
3	मीटरिंग क. उपभोक्ता ख. वितरण ट्रांसफार्मर ग. फीडर	सं.	254565 - -	-
4	वितरण ट्रांसफार्मर	सं.	1721	-
5	33 तथा 66 केवी लाइन	सीकेएम	-	-
6	11 केवी लाइन	सीकेएम	625.87	37.70
7	एलटी लाइन	सीकेएम	17.33	-
8	एसएजीवाई गांव	सं.	20	-

इसके अतिरिक्त, पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) को डीडीयूजीजेवाई-आरई निधियों से फीडर पृथक्करण के लिए 149.21 करोड़ रुपए का उपयोग करने की अनुमति भी दी गई है जो पहले अप्रयुक्त रही थी।

(ख) : पंजाब राज्य सहित संपूर्ण देश के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा डीडीयूजीजेवाई के निष्पादन की नियमित रूप से निगरानी की जाती है। 1 अप्रैल, 2015 की स्थिति के अनुसार, पंजाब राज्य द्वारा कोई गैर-विद्युतीकृत गांव सूचित नहीं किया गया था।

(ग) और (घ) : प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-135

जिसका उत्तर 26 जुलाई, 2018 को दिया जाना है ।

पुराने विद्युत संयंत्रों का प्रचालन

*135. श्री ए. अरुणमणिदेवन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश में कई पुराने विद्युत संयंत्र वर्तमान में 3.5 रुपये/किलोवाट घंटा से अधिक की उच्च लागत पर प्रचालन कर रहे हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या बड़े पैमाने पर टॉलिंग व्यवस्था के कार्यान्वयन से विभिन्न हितधारकों को काफी लाभ होंगे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) क्या विद्युत वितरण कंपनियों को विद्युत खरीद की लागत में कमी होगी जिसके फलस्वरूप अत्यधिक बचत होगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"पुराने विद्युत संयंत्रों का प्रचालन" के बारे में लोक सभा में दिनांक 26.07.2018 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 135 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) में उपलब्ध सूचना के आधार पर ऐसे उत्पादन केंद्र जो वाणिज्यिक प्रचालन में हैं और विद्युत की बिक्री की दर 3.5 रुपए/केडब्ल्यूएच से अधिक है, **अनुबंध** में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) : जी हां।

सरकार ने "विद्युत की उत्पादन लागत में कमी करने के लिए घरेलू कोयले के उपयोग में छूट" शुरू की है जहां राज्य/केंद्रीय उत्पादन कम्पनियों को सस्ती विद्युत का उत्पादन करने के लिए उनके अपने विद्युत संयंत्रों में दक्ष और लागत प्रभावी तरीके से कोयले का उपयोग करने अथवा अन्य राज्य/केंद्रीय/निजी उत्पादन कम्पनियों के विद्युत संयंत्रों को कोयला हस्तांतरित करने की छूट है। राज्य उत्पादन कम्पनियां अति दक्ष संयंत्र में अपने कोयले का उपयोग करके और ढुलाई लागत में बचत करके सस्ती विद्युत प्राप्त करेंगे। गुजरात और महाराष्ट्र ने स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी) के विद्युत संयंत्रों को अपना कोयला हस्तांतरित करके इस योजना का लाभ पहले ही उठाना शुरू कर दिया है।

"पुराने विद्युत संयंत्रों का प्रचालन" के बारे में लोक सभा में दिनांक 26.07.2018 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 135 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध।

वर्ष 2016-17 के दौरान, वे उत्पादन स्टेशन जो वाणिज्यिक प्रचालन में हैं और जिनकी विद्युत की बिक्री की दर 3.5 रु./केडब्ल्यूएच से अधिक रही है

क्रम सं.	यूटिलिटी/विद्युत स्टेशन का नाम	यूटिलिटी	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	सीईआरसी/ एसईआरसी द्वारा अनुमोदित विद्युत की बिक्री की दर (पैसे/केडब्ल्यूएच)	वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (सीओडी)
1	चमेरा-III एचपीएस	एनएचपीसी लि.	231.00	426.00	04.07.2012
2	पारबती-III एचपीएस	एनएचपीसी लि.	520.00	548.00	06.06.2014
3	चूटक	एनएचपीसी लि.	44.00	798.00	01.02.2013
4	दुलहरस्ती एचपीएस	एनएचपीसी लि.	390.00	564.00	07.04.2007
5	उरी एचपीएस-II	एनएचपीसी लि.	240.00	486.00	01.03.2014
6	निम्मो-बाजगो	एनएचपीसी लि.	45.00	882.00	10.10.2013
7	सेवा-II	एनएचपीसी लि.	120.00	434.00	24.07.2010
8	ओरैया सीसीपीपी	एनटीपीसी लि.	663.36	391.00	01.12.1990
9	बदरपुर टीपीएस	एनटीपीसी लि.	705.00	448.00	01.06.2006
10	दादरी कोल-I (एनसीटीपीपी)	एनटीपीसी लि.	840.00	423.00	01.12.1995
11	दादरी कोल-II (एनसीटीपीपी)	एनटीपीसी लि.	980.00	463.00	31.07.2010
12	टांडा टीपीएस	एनटीपीसी लि.	440.00	408.00	14.01.2000
13	ऊंचाहार टीपीएस-I	एनटीपीसी लि.	420.00	398.00	13.02.1992
14	ऊंचाहार टीपीएस-II	एनटीपीसी लि.	420.00	389.00	01.01.2001
15	ऊंचाहार टीपीएस-III	एनटीपीसी लि.	210.00	430.00	01.01.2007
16	कोलडैम	एनटीपीसी लि.	800.00	436.00	18.07.2015
17	राजस्थान ए.पी.एस. 2,3,4,5 व 6	एनपीसीआईएल	1080.00	353.74	01.04.1981
18	टिहरी एचपीपी	टीएचडीसी	1000.00	518.00	22.09.2006
19	कोटेश्वर एचईपी	टीएचडीसी	400.00	534.00	01.04.2011
20	एमटीपीएस स्टेज-I	कांती बिजली उत्पादन निगम लि.	220.00	531.13	01.11.2013
21	एमटीपीएस स्टेज-II	कांती बिजली उत्पादन निगम लि.	390.00	691.38	18.03.2017
22	जे पी एच	सिक्किम सरकार, ईएंडपीडीपीटीटी	2.10	611.00	00.00.1965
23	मियॉंग चू	सिक्किम सरकार, ईएंडपीडीपीटीटी	4.00	611.00	00.00.1993
24	टेनुघाट टीपीएस	टेनुघाट विद्युत निगम लि.	420.00	382.00	01.09.1996
25	दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	डीपीएल	660.00	433.21	01.01.1987
26	जलढाका एचईपी	वेस्ट बंगाल एसईडीसीएल	44.00	689.00	00.00.1967
27	रम्माम एचईपी	वेस्ट बंगाल एसईडीसीएल	51.00	689.00	00.00.1995
28	तीस्ता कनाल फाल्स	वेस्ट बंगाल एसईडीसीएल	67.50	689.00	00.00.1997
29	पुरुलिया स्टोरेज प्रोजेक्ट	वेस्ट बंगाल एसईडीसीएल	900.00	689.00	00.00.2007
30	पानीपत टीपीएस-II (यूनिट 5)	एचपीजीसीएल	210.00	482.00	28.03.1989
31	पानीपत टीपीएस-II (यूनिट 6)	एचपीजीसीएल	210.00	484.00	31.03.2001
32	पानीपत टीपीएस-II (यूनिट 7)	एचपीजीसीएल	250.00	426.00	28.09.2004
33	पानीपत टीपीएस-II (यूनिट 8)	एचपीजीसीएल	250.00	418.00	28.01.2005
34	डीसीआरटीपीपी (यूनिट 1 से 2), वाई. नगर	एचपीजीसीएल	600.00	410.00	14.04.2008
35	आरजीटीपीपी (यूनिट 1 से 2), खेदार, हिसार	एचपीजीसीएल	1200.00	422.00	24.08.2010
36	गैस टरबाइन पावर स्टेशन	आईपीजीसीएल	270.00	393.00	14.05.1986
37	पीपीएस-I	पीपीसीएल	330.00	383.00	02.07.2002
38	पीपीएस-III	पीपीसीएल	1371.20	361.00	27.12.2011

39	संजक	जम्मू व कश्मीर	1.26	360.00	00.07.2013
40	सुम्नूर	जम्मू व कश्मीर	0.10	354.00	00.00.1993
41	आईजीएसटीपीएस, झज्जर	अरावली पीसीपीएल	1500.00	494.90	05.03.2011
42	महात्मा गांधी टीपीपी	झज्जर पीएल	1320.00	419.40	29.03.2012
43	श्रीनगर एचईपी	अलकनंदा एचपीसीएल	330.00	488.00	21.06.2015
44	गामा इंफ्रापरोप सीसीपीपी	गामा इंफ्रापरोप प्रा.	225.00	521.63	25.04.2016
45	जेपी बीना टीपीपी	जेपी पावर वेंचर्स लि.	500.00	467.50	31.08.2012
46	पीपीजीसीएल (बारा)	जेपी पावर वेंचर्स लि.	1980.00	385.00	29.02.2016
47	एमबी पावर	एमबी पावर	1200.00	383.10	20.05.2015
48	राज वेस्ट पावर लि. राजस्थान	जेएसडब्ल्यू एनर्जी लि.	1080.00	437.00	26.11.2009
49	तलवंडी साबो पावर लि.	तलवंडी साबो पावर लि.	1980.00	495.48	05.07.2014
50	रोजा थर्मल पावर स्टेशन	रोजा पावर एससीएल	1200.00	434.00	12.03.2010
51	खांवरखेड़ा	बजाज एनर्जी प्रा. लि.	90.00	634.00	10.03.2012
52	बरखेड़ा	बजाज एनर्जी प्रा. लि.	90.00	626.00	24.03.2012
53	मकसूदपुर	बजाज एनर्जी प्रा. लि.	90.00	608.00	28.03.2012
54	उतरौला	बजाज एनर्जी प्रा. लि.	90.00	615.00	24.04.2012
55	कुंदरकी	बजाज एनर्जी प्रा. लि.	90.00	588.00	21.04.2012
56	ललितपुर पीजीसीएल	बजाज एनर्जी प्रा. लि.	1980.00	473.00	01.10.2015
57	प्रयागराज पीजीसीएल	प्रयागराज पीजीसीएल	1320.00	385.95	29.02.2016
58	मौदा-I	एनटीपीसी लि.	1000.00	445.00	30.03.2014
59	मौदा-II	एनटीपीसी लि.	660.00	399.00	01.02.2017
60	सूरतगढ़ टीपीएस	आरआरवीयूएनएल	1500.00	417.30	01.02.1999
61	छाबड़ा टीपीएस-1 व 2	आरआरवीयूएनएल	500.00	367.00	11.06.2010
62	छाबड़ा टीपीएस-3	आरआरवीयूएनएल	250.00	367.00	19.12.2013
63	छाबड़ा टीपीएस-4	आरआरवीयूएनएल	250.00	367.00	30.12.2014
64	रामगढ़ जीटी पावर प्रोजेक्ट	आरआरवीयूएनएल	220.50	418.00	03.02.1996
65	रामगढ़ गैस टीपी प्रोजेक्ट 3	आरआरवीयूएनएल	50.00	418.00	07.06.2014
66	धोलपुर सीसी पावर प्रोजेक्ट	आरआरवीयूएनएल	330.00	461.10	01.03.2008
67	कालीसिंध टीपीपी-1	आरआरवीयूएनएल	600.00	450.00	07.05.2014
68	कालीसिंध टीपीपी-2	आरआरवीयूएनएल	600.00	450.00	25.07.2015
69	अनपरा डी	यूवीआरवीयूएनएल	1000.00	398.00	08.05.2016
70	हरदुआगंज टीपीएस	यूवीआरवीयूएनएल	165.00	492.00	14.05.1977
71	हरदुआगंज एक्सटें. टीपीएस	यूवीआरवीयूएनएल	500.00	466.00	01.02.2012
72	पनकी टीपीएस	यूवीआरवीयूएनएल	210.00	503.00	29.01.1977
73	परीछा टीपीएस	यूवीआरवीयूएनएल	220.00	494.00	01.10.1985
74	परीछा एक्सटें. टीपीएस	यूवीआरवीयूएनएल	420.00	456.00	24.11.2006
75	परीछा एक्सटें. स्टे. 2 टीपीएस	यूवीआरवीयूएनएल	500.00	504.00	17.07.2012
76	अमरावती टीपीपी	रत्नइंडिया पावर लि.	1350.00	368.27	03.06.2013
77	साबरमती थर्मल पावर स्टे.	टोरेंट पावर लि.	422.00	451.29	1,99,81,997
78	जीएसईजी-हजीरा, 351.43 मेगावाट	गुजरात एस एन. जेन. लि.	351.30	513.00	23.03.2012
79	जीपीपीसी, सीसीपीपी	जीएसपीसी पीपावाव पीसीएल	702.86	518.00	12.04.2013
80	165 मेगावाट पावर प्लांट (स्टेशन-II)	गुजरात इंडस्ट्रीज पीसीएल	165.00	643.90	18.11.1997
81	145 मेगावाट पावर प्लांट (स्टेशन-I)	गुजरात इंडस्ट्रीज पीसीएल	145.00	403.49	31.03.1992
82	सूरत लिग. पीपी (एसएसपीपी स्टेशन-II)	गुजरात इंडस्ट्रीज पीसीएल	250.00	385.67	28.04.2010
83	भिलाई एक्सपें. पावर प्लांट	एनटीपीसी सेल पीसीपीएल	500.00	372.82	22.04.2009
84	दहानु टीपीएस	रिलायंस इंफ्रा. लि.	500.00	407.00	01.07.1995
85	ट्रॉम्बे यूनिट 5	टाटा पावर कम. लि.	500.00	440.00	25.01.1984
86	ट्रॉम्बे यूनिट 7	टाटा पावर कम. लि.	180.00	370.00	29.07.1993
87	ट्रॉम्बे यूनिट 8	टाटा पावर कम. लि.	250.00	440.00	29.03.2009
88	खोपोली	टाटा पावर कम. लि.	72.00	483.00	00.00.2003
89	नेवैली टीपीएस-I	नेवैली लिग. कारपो. लि.	600.00	548.20	00.05.1962
90	नेवैली टीपीएस- I एक्सपें.	नेवैली लिग. कारपो. लि.	420.00	398.80	09.05.2003
91	नेवैली टीपीएस-II	नेवैली लिग. कारपो. लि.	1470.00	385.10	00.09.1986
92	नेवैली बरसिंगसर	नेवैली लिग. कारपो. लि.	250.00	380.40	00.12.2011
93	नेवैली टीपीएस-II एक्सपें	नेवैली लिग. कारपो. लि.	500.00	540.70	05.07.2015

94	नेवैली तमिलनाडु पावर लि., जेवी	नेवैली लिग. कारपो. लि.	1000.00	522.00	18.06.2015
95	आर. गांधी (कायमकुलम)	एनटीपीसी लि.	359.58	843.00	03.03.2000
96	सिम्हाद्री-I	एनटीपीसी लि.	1000.00	368.00	01.03.2003
97	सिम्हाद्री-II	एनटीपीसी लि.	1000.00	434.00	30.09.2012
98	केकेएनपीपी-1 व 2	एनपीसीआईएल	2000.00	409.48	31.12.2014
99	डॉ. एनटीटीपीएस (विजयवाड़ा टीपीएस)	एपजैको	1260.00	465.00	00.00.1979
100	डॉ. एनटीटीपीएस-IV (विजयवाड़ा टीपीएस-4)	एपजैको	500.00	465.00	00.00.2009
101	रायलसीमा टीपीपी-I	एपजैको	420.00	465.00	00.00.1994
102	रायलसीमा टीपीपी-II	एपजैको	420.00	465.00	00.00.2007
103	रायलसीमा टीपीपी-III	एपजैको	210.00	465.00	00.00.2010
104	श्रीशैलम (एसआरबीएचईएस)	एपजैको	770.00	465.00	00.00.1982
105	अपर सिलेरू	एपजैको	240.00	465.00	00.00.1967
106	लोअर सिलेरू	एपजैको	460.00	465.00	00.00.1976
107	दोंकरई	एपजैको	25.00	465.00	00.00.1983
108	पेन्ना अहोबिलम (परभेस)	एपजैको	20.00	465.00	00.00.1974
109	चेट्टीपेटा	एपजैको	1.00	465.00	00.00.1991
110	मुचकुंद	एपजैको	120.00	465.00	00.00.1955
111	नागार्जुन सागर आरसीपीएच	एपजैको	90.00	465.00	00.00.1955
112	तुंगभद्रा एचईएस व एचएएमपी (एपी हिस्सा)	एपजैको	72.00	465.00	00.00.1957
113	कोथागुडेम स्टे. (केटीपीएस ओएंडएम)	टीएसपीजैको	720.00	426.00	17.10.1991
114	कोथागुडेम टीपीएस (केटीपीएस-VI)	टीएसपीजैको	500.00	465.00	23.10.2011
115	रामागुंडम टीपीएस बी	टीएसपीजैको	62.50	443.00	17.10.1971
116	काकातिया टीपीपी (केटीपीपी)-I	टीएसपीजैको	500.00	460.00	14.09.2010
117	काकातिया टीपीपी (केटीपीपी)-II	टीएसपीजैको	600.00	513.00	24.03.2016
118	श्रीशैलम लेफ्ट बैंक एचईएस (एसएलबीएचईएस)‡	टीएसपीजैको	900.00	766.00	04.09.2003
119	नागार्जुन सागर	टीएसपीजैको	815.60	753.00	07.03.1978
120	प्रियदर्शिनी जुराला	टीएसपीजैको	234.00	583.00	28.03.2008
121	एलजेएचईएस	टीएसपीजैको	240.00	1440.00	19.10.2015
122	पेड्डापल्ली	टीएसपीजैको	9.16	1912.00	15.12.1995
123	पोचमपड-II	टीएसपीजैको	9.00	407.00	12.10.2010
124	निजामसागर	टीएसपीजैको	10.00	534.00	01.04.1955
125	सिंगूर	टीएसपीजैको	15.00	1039.00	31.03.2000
126	पुलीचिताला	टीएसपीजैको	30.00	1531.00	29.09.2016
127	रायचूर टीपीएस 1 से 7	केपीसीएल	1470.00	438.00	00.00.1985
128	रायचूर टीपीएस 8	केपीसीएल	250.00	482.00	11.12.2010
129	बेल्लारी टीपीएस 1	केपीसीएल	500.00	511.00	25.03.2008
130	बेल्लारी टीपीएस 2	केपीसीएल	500.00	556.00	22.03.2012
131	भद्रा पीएच	केपीसीएल	39.20	459.00	00.00.1962
132	जेगुरुपडु सीसीपीपी, फेज-II	जीवीके इंडस्ट्रीज लिमिटेड	228.85	455.00	14.04.2009
133	लैंको केपीएल स्टे.-II	लैंको कॉडापल्ली पावर लि.	366.00	463.30	01.08.2010
134	लैंको केपीएल स्टे.-IIIए	लैंको कॉडापल्ली पावर लि.	371.00	463.30	11.08.2015
135	लैंको केपीएल स्टे.-IIIबी	लैंको कॉडापल्ली पावर लि.	371.00	463.30	09.01.2016
136	मीनाक्षी एनर्जी लि. फेज-I	मीनाक्षी एनर्जी प्रा. लि.	300.00	499.40	07.10.2012
137	उडुपी पावर कारपो. लि.	अदानी पावर लि.	1200.00	425.00	11.11.2010
138	आईएलएंडएफएस टीएन पी कम. लि.	आईएलएंडएफएस टीएन पी कम. लि.	600.00	510.00	29.09.2015
139	जीएमआर वेमागिरी पावर जेनरेशन लि.	जीएमआर वेमागिरी पीजीएल	387.63	464.50	16.09.2006
140	मेजिया टीपीएस, यू 5-6	डीवीसी	500.00	359.76	00.02.2008
141	मेजिया टीपीएस, यू 7-8	डीवीसी	1000.00	369.91	00.08.2011
142	दुर्गापुर स्टील टीपीएस	डीवीसी	1000.00	393.23	00.05.2012
143	दुर्गापुर टीपीएस	डीवीसी	210.00	354.16	00.09.1982
144	रघुनाथपुर टीपीएस	डीवीसी	1200.00	353.26	00.03.2016
145	चंद्रपुर टीपीएस, यू1-3	डीवीसी	420.00	350.95	00.10.1964
146	कोडरमा टीपीएस	डीवीसी	1000.00	381.31	00.07.2013
147	रंगित एचपीएस	एनएचपीसी लि.	60.00	354.00	15.02.2000

148	टीएलडीपी-III	एनएचपीसी लि.	132.00	620.00	19.05.2013
149	फरक्का एसटीपीएस III	एनटीपीसी लि.	500.00	410.00	04.04.2012
150	बोंगाईगांव टीपीएस	एनटीपीसी लि.	250.00	586.00	01.04.2016
151	को-जेन कवारधा	सीएसपीजीसीएल	6.00	583.00	10.08.2006
152	धुवरन सीसीपीपी-1	जीएसईसीएल	106.62	745.00	28.01.2004
153	धुवरन सीसीपीपी-2	जीएसईसीएल	112.45	515.00	01.11.2007
154	गांधी नगर टीपीएस 1-4	जीएसईसीएल	660.00	716.00	13.03.1977
155	गांधी नगर टीपीएस 5	जीएसईसीएल	210.00	413.00	17.03.1988
156	कच्छ लिग्. टीपीएस 1-3	जीएसईसीएल	215.00	439.00	29.03.1990
157	कच्छ लिग्. टीपीएस 4	जीएसईसीएल	75.00	564.00	20.12.2009
158	सिक्का टीपीएस 3-4	जीएसईसीएल	500.00	588.00	14.09.2015
159	उकई 1-5	जीएसईसीएल	850.00	469.00	19.03.1976
160	उकई टीपीएस 6	जीएसईसीएल	500.00	482.00	08.06.2013
161	वनकबोरी टीपीएस 1-6	जीएसईसीएल	1260.00	583.00	23.03.1982
162	वनकबोरी टीपीएस 7	जीएसईसीएल	210.00	441.00	31.12.1998
163	अमरकंटक फेज-III	एमपीपीजीसीएल	210.00	351.00	09.09.2009
164	संजय गांधी टीपीएस/एसजीटीपीएस फेज-I व II	एमपीपीजीसीएल	840.00	387.00	26.05.1994
165	सतपुरा टीपीएस एसटीपीएस फेज-II व III	एमपीपीजीसीएल	830.00	616.00	20.09.1980
166	सतपुरा टीपीएस एसटीपीएस फेज-IV	एमपीपीजीसीएल	500.00	580.00	16.03.2014
167	एसएसटीपीएस फेज-I	एमपीपीजीसीएल	1200.00	843.00	01.02.2014
168	भुसावल टीपीएस	एमएसपीजीसीएल	1420.00	511.00	30.08.1979
169	खापरखेड़ा	एमएसपीजीसीएल	1340.00	391.00	26.03.1989
170	कोराडी टीपीएस	एमएसपीजीसीएल	620.00	420.00	16.12.2015
171	नासिक टीपीएस	एमएसपीजीसीएल	630.00	470.00	26.04.1979
172	पार्ली टीपीएस	एमएसपीजीसीएल	1130.00	716.00	10.10.1980
173	पारस	एमएसपीजीसीएल	500.00	387.00	31.03.2008
174	हल्दिया एनर्जी	हल्दिया एनर्जी लि.	600.00	504.00	28.01.2015
175	जोजोबेरा यूनिट 1	टाटा पावर कं. लि.	67.50	452.50	12.09.1997
176	जोजोबेरा यूनिट 2	टाटा पावर कं. लि.	120.00	370.30	01.02.2001
177	जोजोबेरा यूनिट 3	टाटा पावर कं. लि.	120.00	359.20	01.02.2002
178	जोजोबेरा यूनिट 4	टाटा पावर कं. लि.	120.00	388.70	23.11.2005
179	जोजोबेरा यूनिट 5	टाटा पावर कं. लि.	120.00	445.60	27.08.2009
180	मैथॉन यूनिट 1 व 2	टाटा पावर कं. लि.	1050.00	361.00	01.09.2011
181	लोकटक एचपीएस	एनएचपीसी लि.	105.00	366.00	01.06.1983
182	दोयांग एच.ई.पी.	नीपको	75.00	498.01	29.06.2000
183	लकवा टीपीएस	असम पावर जेनको	157.20	368.10	30.07.1983
184	नामरूप टीपीएस	असम पावर जेनको	119.50	482.90	10.04.1965
185	मिटरियांग एसएचईपी स्टे.-II	असम पावर जेनको	3.00	357.76	08.08.2014
186	लिक्मिरो एचईपी	नागालैंड सरकार	24.00	492.00	00.00.2006
187	लांग एचईपी	नागालैंड सरकार	1.00	492.00	00.00.2013
188	दुलुमरोई एचईपी	नागालैंड सरकार	0.54	492.00	00.00.1991
189	टेहोक एचईपी	नागालैंड सरकार	1.50	492.00	00.00.2016
190	उमियम स्टे.-III	मेघालय एनर्जी कार. लि.	60.00	370.00	00.00.1973
191	एमएलएचईपी	मेघालय एनर्जी कार. लि.	126.00	448.00	00.00.2012
192	खवीवा	मिजोरम पावर इलै.	1.05	414.00	08.12.1988
193	तुपिई	मिजोरम पावर इलै.	0.50	414.00	15.12.1991
194	मेचर्म-I	मिजोरम पावर इलै.	2.00	414.00	05.01.1996
195	मेचर्म-II	मिजोरम पावर इलै.	3.00	414.00	10.09.2009
196	काँ ट्वाबुंग	मिजोरम पावर इलै.	3.00	414.00	05.05.2005
197	सेरलुई-बी	मिजोरम पावर इलै.	12.00	414.00	30.04.2010
198	लमसियाल	मिजोरम पावर इलै.	0.50	414.00	26.03.2008

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1382

जिसका उत्तर 26 जुलाई, 2018 को दिया जाना है ।

महाराष्ट्र में सुपर थर्मल क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट

1382. श्रीमती रक्षाताई खाडसे:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार द्वारा बीएचईएल के माध्यम से महाराष्ट्र में एक सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित की जाएगी;
- (ख) यदि हां, तो इस परियोजना का ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य हेतु चिन्हित स्थान क्या हैं; और
- (ग) क्या सरकार ने इस थर्मल पावर प्रोजेक्ट की स्थापना की समय सूची तैयार कर ली है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ग) : विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 7 के अनुसार, कोई उत्पादन कंपनी यदि वह धारा 73 के खंड (ख) में निर्दिष्ट ग्रिड से संयोजना से संबंधित तकनीकी मानकों को पूरा करती है तो इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति प्राप्त किए बिना किसी उत्पादन केंद्र की स्थापना, उसका प्रचालन और रख-रखाव कर सकती है। तदनुसार, ताप विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए सरकार की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।

तथापि, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, महाराष्ट्र पावर जेनरेशन कारपोरेशन लि. (महाजैको) ने भुसावल, महाराष्ट्र में भेल को 660 मेगावाट के एक सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट का ठेका दिया है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1396

जिसका उत्तर 26 जुलाई, 2018 को दिया जाना है ।

विद्युत की उपलब्धता

1396. श्री आनंदराव अडसुलः

डॉ. प्रीतम गोपीनाथ मुंडेः

श्री विनायक भाऊराव राऊतः

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदेः

श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या ऊर्जा किसी देश के विकास का इंजन है और कोई भी राष्ट्र अपने लाखों नागरिकों को बिजली से वंचित रख कर विकास नहीं कर सकता और गरीबी मुक्त भारत के लिए बिजली की उपलब्धता पहली शर्त है;
- (ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर देश में प्रत्येक गरीब परिवार को बिजली का कनेक्शन प्रदान करने के लिए कोई योजना तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या डिस्कॉम विद्युत क्षेत्र के लिए धुरी है और यह भारी नुकसान उठा रहा है और यदि हां, तो डिस्कॉम की हानि को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए/सुझाए गए हैं;
- (घ) क्या प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से विद्युत क्षेत्र को राजसहायता देने की जरूरत है और यदि हां, तो विद्युत क्षेत्र में राजसहायता देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
- (ङ) क्या एक ऐसा तंत्र स्थापित करने की जरूरत है जिसे किसी भी सबसे दक्ष संयंत्र से प्राप्त बिजली का प्रथम उपयोग विद्युत की कीमत कम करने के लिए किया जाए और यदि हां, तो इस संबंध में क्या दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : जी, हाँ।

(ख) : भारत सरकार ने 16,320 करोड़ रुपये के परिव्यय से, जिसमें भारत सरकार से 12,320 करोड़ रुपये की सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) शामिल है, "प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-सौभाग्य" की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घरों को तथा शहरी क्षेत्रों में सभी गरीब परिवारों को अंतिम छोर

तक कनेक्टिविटी तथा विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध कराकर सभी घरों के विद्युतीकरण के लक्ष्य को हासिल करना है। योजना के अंतर्गत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से 31.03.2019 तक घरों के विद्युतीकरण का कार्य पूरा करना अपेक्षित है।

(ग) : भारत सरकार ने नवंबर, 2015 में विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के प्रचालनात्मक एवं वित्तीय टर्नओवर हेतु उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) शुरू की। इस योजना का उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2018-19 तक एटीएंडसी हानियों को 15% तक और एसीएस-एआरआर अंतर को शून्य तक लाना है।

(घ) : विद्युत उपभोक्ताओं को सब्सिडी, यदि कोई है, राज्य द्वारा दी जाती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विद्युत एक समवर्ती सूची का विषय है, सब्सिडी भुगतान की पद्धति का निर्णय राज्यों को करना है।

(ङ) : डिस्कॉमों द्वारा इष्टतम लागत पर विद्युत की अपेक्षित मात्रा की खरीद के लिए देश में मेरिट ऑर्डर डिस्पैच मैकेनिज्म पहले से ही उपलब्ध है। इस मैकेनिज्म के अंतर्गत, डिस्कॉमों द्वारा कम से कम परिवर्तनीय लागत पर सबसे दक्ष संयंत्रों से विद्युत का उपयोग पहले किया जाता है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1406

जिसका उत्तर 26 जुलाई, 2018 को दिया जाना है ।

संकटग्रस्त विद्युत परियोजनाओं की समीक्षा

1406. श्री कोनाकल्ला नारायण रावः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में संकटग्रस्त विद्युत परियोजनाओं का जायजा लेने के लिए विद्युत परियोजना कंपनियों से मिलने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि सरकार और विद्युत परियोजना कंपनियों के बीच उक्त बैठक पहले ही आयोजित हो चुकी है तो दोनों पक्षों के बीच जिन कठिनाइयों और दृष्टिकोण का आदान-प्रदान हुआ उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं और देश में संकटग्रस्त विद्युत परियोजनाओं की संरक्षा के लिए क्या छूट प्रदान की जा रही है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : विद्युत क्षेत्र को प्रभावित करने वाले मुद्दों का समाधान करने के लिए सरकार विद्युत उत्पादन कंपनियों के साथ नियमित आधार पर बैठकें कर रही हैं। इस संबंध में पिछली बैठक 21.06.2018 को वित्तीय सेवाएं विभाग में हुई थी।

(ग) : पणधारकों के साथ विचार-विमर्श के दौरान विद्युत क्षेत्र में दबाव के प्रमुख कारण निम्नलिखित बताए गए थे:

- 1) ईंधन/कोयला/गैस की अनुपलब्धता
- 2) अपर्याप्त मांग के कारण विद्युत क्रय करार (पीपीए) का न होना

- 3) डिस्कॉमों द्वारा विलंबित भुगतान
- 4) इक्विटी और सर्विस ऋण देने के लिए प्रवर्तकों की अक्षमता
- 5) पीपीए में बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत आक्रामक टैरिफ, जिससे कम वसूली होती है
- 6) विनियामक एवं संविदागत विवाद
- 7) अन्य वित्तीय मुद्दे, जैसे ज्वायंट लेंडर फोरम (जेएलएफ) निर्णय का गैर-अनुपालन, लागत बढ़ने के वित्त पोषण पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिबंध आदि

(घ) : विद्युत क्षेत्र में संकट को कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपचारात्मक उपाय किए गए हैं:

I. शक्ति के अंतर्गत ईंधन लिंकेज: सरकार ने 17.05.2017 को शक्ति (स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला (कोल) ट्रांसपेरेन्टली इन इंडिया) अनुमोदित की। इस स्कीम के अंतर्गत शक्ति नीति के ख(i) प्रावधान के तहत अधिसूचित कीमत पर केंद्रीय और राज्य उत्पादन कंपनियों को कोयला लिंकेज मंजूर किए गए हैं। शक्ति के ख (ii) के अंतर्गत टैरिफ पर बोली छूट के पश्चात् घरेलू कोयला आधारित पीपीए वाले स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी) को लिंकेज मंजूर किए गए हैं।

II. 2500 मेगावाट विद्युत के प्रापण के लिए पायलट परियोजना : देश में विद्युत क्रय करार (पीपीए) न होने की समस्या का समाधान करने के लिए सरकार ने देश में विद्युत क्रय करार (पीपीए) के अभाव की समस्या का समाधान करने के लिए, सरकार ने खुली क्षमता वाली चालू परियोजनाओं के साथ उत्पादकों से 3 (तीन) वर्षों के लिए मध्यम अवधि के अंतर्गत प्रतिस्पर्धी आधार पर कुल 2500 मेगावाट विद्युत के प्रापण के लिए दिशा-निर्देश एवं मानक बोली दस्तावेज़ (एसबीडी) अधिसूचित किए थे। इस योजना के तहत पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड ने 2500 मेगावाट विद्युत के लिए बोलियां आमंत्रित की, जिसमें पीटीसी इंडिया लिमिटेड विद्युत परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए मांग को एकत्र करने वाले के रूप में काम करेगा और उस विद्युत को राज्य यूटिलिटीयों को बेचेगा। उपरोक्त योजना के अंतर्गत देश में खुली क्षमता वाली कोयला आधारित सभी विद्युत परियोजनाएं भाग लेने के लिए पात्र थीं।

कुल 1900 मेगावाट विद्युत के लिए सात परियोजनाओं से बोलियां प्राप्त हो गई हैं।

परियोजनाओं द्वारा विद्युत की बिक्री से अर्जित राजस्व का प्रयोग इस प्रकार की परियोजनाओं द्वारा ऋण देने के लिए किया जाएगा।

III. कोयला मूल्य वृद्धि सूचकांक में विसंगतियों के कारण कम वसूली : कोयला मूल्य वृद्धि सूचकांक में विसंगतियों के कारण कम वसूली के लिए केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग (डीआईपीपी) द्वारा प्रकाशित लागत मूल्य वृद्धि सूचकांक में विसंगतियों को दूर करने के लिए 'वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विद्युत प्रापण की बोली प्रक्रिया द्वारा टैरिफ के निर्धारण के लिए दिशा-निर्देश' में 01 जून, 2018 की अधिसूचना के तहत संशोधन किया है और अप्रैल, 2012 से गैर-कुकिंग कोयला में थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) की एक नई श्रृंखला अंगीकृत की है। केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) की नई अधिसूचना के आधार पर, विद्युत उत्पादक गैर-कुकिंग कोयला (जी7-जी14) के लिए थोक मूल्य सूचकांक की नई श्रृंखला के आधार पर परिकल्पित संशोधित टैरिफ के लिए 01 अप्रैल, 2017 से पात्र होंगे। इससे विद्युत उत्पादकों को देयताओं की कम वसूली के मुद्दों को मुख्य रूप से हल किया जाएगा।

IV. मंत्रालय ने फ्लू-गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी) की स्थापना के कारण उत्पादन लागत में वृद्धि को पास-थ्रू करने के लिए 30 मई, 2018 को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 107 के तहत केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) को निर्देश जारी किए हैं।

V. डिस्कामों को भुगतान की प्रणाली में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए मंत्रालय द्वारा एक नया एप 'प्राप्ति' (पेमेंट रेटिफिकेशन एंड एनालिसिस इन पावर प्रोक्योरमेंट फॉर ब्रिंग इन द ट्रांसपेरेंसी इन पेमेंट ऑफ जेनरेटर्स) शुरू किया गया है। विद्युत उत्पादकों को अपने इनवॉइसिंग और भुगतान आंकड़े फीड करने के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस पोर्टल का पारिषण के साथ-साथ नवीकरणीय विद्युत उत्पादकों को शामिल करने के लिए विस्तार किया जाएगा।

VI. अन्य उपाय

- 1) राज्यों के साथ घरेलू कोयले के उपयोग में टोलिंग अर्थात् विद्युत उत्पादन के लाभ के लिए आईपीपी को कोयला लिंकेज के हस्तांतरण में ढील की नीति का उपयोग करने के लिए बैठक की गई है। गुजरात और महाराष्ट्र ने पहले ही टोलिंग के माध्यम से क्रमशः 500 मेगावाट और 400 मेगावाट के लिए व्यवस्था कर ली है। यह ऐसे आईपीपी से विद्युत की मांग में वृद्धि करने में सहायक होगा जो विद्युत उत्पादन शुरू कर सकते हैं।
- 2) 'सौभाग्य' से देश में विद्युत की मांग में वृद्धि होने की संभावना है। विद्युत की मांग में अच्छी अर्थात् लगभग 6% की वृद्धि हो रही है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1410

जिसका उत्तर 26 जुलाई, 2018 को दिया जाना है ।

गांवों का विद्युतीकरण

1410. श्री रोड़मल नागर:

श्री हरि मांझी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत देश के प्रत्येक गांव को विद्युतीकृत करने के लिए कोई समय सीमा-तय की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) गत दो वर्षों के दौरान देश में विद्युतीकरण गांवों की संख्या का राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) अब तक कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया है और दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सहित राज्य-वार कितने गांवों का विद्युतीकरण किया जाना है;
- (घ) क्या सरकार ने विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत विद्युत की आपूर्ति का कोई लक्ष्य निर्धारित की गई है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ग) : दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत देश के सभी शेष गैर-विद्युतीकृत आवासित जनगणना गाँवों को 28.04.2018 तक विद्युतीकृत कर दिया गया है। विगत 2 वर्षों के दौरान देश में विद्युतीकृत किए गए गाँवों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत विद्युतीकृत किए गए गैर-विद्युतीकृत जनगणना गाँवों की, मध्य प्रदेश सहित, कुल राज्य-वार संख्या **अनुबंध-II** में दी गई है।

(घ) और (ङ) : गाँवों को विद्युत की आपूर्ति संबंधित राज्य सरकारों/विद्युत यूटिलिटियों के क्षेत्राधिकार में आता है। तथापि, भारत सरकार ने सभी घरों, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 24x7 विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने तथा राज्य नीति के अनुसार कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति करने के लिए राज्य विशिष्ट दस्तावेज तैयार करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ संयुक्त पहल की है। सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों ने 01 अप्रैल, 2019 से सभी को विद्युत उपलब्ध कराने के लिए "सभी के लिए 24x7 विद्युत" दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) तथा प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-सौभाग्य और उदय सहित अपनी योजनाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों को बढ़ावा देती है।

अनुबंध-1

लोक सभा में दिनांक 26.07.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1410 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

गत दो वर्षों के दौरान विद्युतीकृत किए गए आवासित जनगणना गाँवों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	2016-17	2017-18
1	अरुणाचल प्रदेश	175	854
2	असम	1,218	572
3	बिहार	556	332
4	छत्तीसगढ़	294	348
5	हिमाचल प्रदेश	27	-
6	जम्मू एवं कश्मीर	5	35
7	झारखण्ड	1,104	613
8	कर्नाटक	14	25
9	मध्य प्रदेश	159	44
10	मणिपुर	121	77
11	मेघालय	681	218
12	मिजोरम	24	14
13	नागालैंड	76	2
14	ओडिशा	1,092	544
15	राजस्थान	263	1
16	त्रिपुरा	17	-
17	उत्तर प्रदेश	162	9
18	उत्तराखण्ड	18	43
19	पश्चिम बंगाल	9	5
	कुल	6,015	3,736

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 26.07.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1410 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

डीडीयूजीजेवाई (आरई घटक सहित) के अंतर्गत गत दो वर्षों के दौरान विद्युतीकृत किए गए आवासित जनगणना गाँवों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	संचयी उपलब्धि
1	अरुणाचल प्रदेश	3561
2	असम	11058
3	बिहार	26190
4	छत्तीसगढ़	2375
5	हिमाचल प्रदेश	118
6	जम्मू एवं कश्मीर	349
7	झारखण्ड	20373
8	कर्नाटक	94
9	मध्य प्रदेश	1206
10	महाराष्ट्र	80
11	मणिपुर	1174
12	मेघालय	2892
13	मिजोरम	208
14	नागालैंड	180
15	ओडिशा	17661
16	राजस्थान	4583
17	सिक्किम	25
18	त्रिपुरा	167
19	उत्तर प्रदेश	29306
20	उत्तराखण्ड	1605
21	पश्चिम बंगाल	4205
	कुल	127410

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1416

जिसका उत्तर 26 जुलाई, 2018 को दिया जाना है ।

संयंत्र लोड फैक्टर

1416. डॉ. के. गोपाल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश में विद्युत संयंत्रों का औसत संयंत्र लोड फैक्टर लगभग 60% है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या देश अपने संयंत्रों को लोड फैक्टर को 80% पर चला सकता है किंतु इसमें कोयला एक बाधा है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या जब देश में पर्याप्त मात्रा में कोयला है तो फिर कोयले का आयात करना आवश्यक है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) क्या देश को समय पर कोयला उपलब्ध कराने हेतु विद्युत संयंत्रों तक कोयले के परिवहन के लिए अधिक रेलवे लाइनों की आवश्यकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : चालू वर्ष 2018-19 (जून, 2018 तक) के दौरान, कोयला और लिग्नाइट आधारित विद्युत संयंत्र का औसत संयंत्र भार घटक (पीएलएफ) 2017-18 (अप्रैल से जून, 2017) के दौरान 61.63% की तुलना में बढ़कर 63.24% हो गया है। वर्ष 2017-18 के लिए देश में कोयला और लिग्नाइट आधारित विद्युत संयंत्रों का औसत संयंत्र भार घटक 60.72% था।

(ख) और (ग) : ताप विद्युत (कोयला/लिग्नाइट आधारित) यूनितों का पीएलएफ कई घटकों जैसे कुल ऊर्जा मांग, अन्य स्रोतों जैसे जल विद्युत, नाभिकीय, गैस, नवीकरणीय इत्यादि से उत्पादन पर निर्भर करता है।

इसके अतिरिक्त, कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों सहित विद्युत संयंत्र राज्य में प्रचलित मांग के अनुरूप मैरिट ऑर्डर डिस्पैच (एमओडी) के आधार पर शेड्यूल प्राप्त करते हैं। उच्च मांग अवधि के दौरान, कुछ विद्युत संयंत्र भी उच्च संयंत्र भार घटक (पीएलएफ) पर चलते हैं। चालू वर्ष 2018-19 (जून, 2018 तक) के दौरान, बज-बज ताप विद्युत स्टेशन ने 97.99% पीएलएफ हासिल किया है। 19 विद्युत स्टेशनों का पीएलएफ 90% से अधिक है और 46 विद्युत स्टेशनों का पीएलएफ 80% से अधिक है।

(घ) : आयातित कोयले पर डिजाइन किए गए विद्युत संयंत्रों द्वारा कोयले का आयात अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त, लागत अर्थव्यवस्था पर विचार करने के साथ-साथ घरेलू कोयले की उपलब्धता में कमी, यदि कोई हो, को पूरा करने के लिए कुछ विद्युत यूटिलिटियां घरेलू कोयले के साथ ब्लेंड करने हेतु कोयले का आयात कर रही है। घरेलू कोयले की बढ़ी हुई उपलब्धता से, घरेलू कोयले के साथ ब्लेंडिंग के लिए कोयले का आयात 2014-15 के दौरान 48.5 मिलियन टन (एमटी) से घटकर 2017-18 के दौरान 17 एमटी हो गया है।

(ङ) : विद्युत संयंत्रों को कोयले की ढुलाई मुख्यतः भारतीय रेलवे के जरिए की जाती है। कोयला खानों के समीप स्थित कुछ विद्युत संयंत्र अन्य साधनों जैसे मेरी-गो-राउंड (एमजीआर), कन्वेयर बेल्ट इत्यादि के जरिए भी कोयला लेते हैं। रेलवे आवश्यकता के अनुसार समय-समय पर कोयले की पर्याप्त ढुलाई करने के लिए नई रेल लाइनें बिछाई जा रही हैं और अपनी मौजूदा लाइनों का उन्नयन कर रहा है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1428

जिसका उत्तर 26 जुलाई, 2018 को दिया जाना है।

कुल विद्युत की खरीद

1428. श्री सी. महेंद्रन:

श्री चामाकुरा मल्ला रेड्डी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने बिना किसी विद्युत खरीद करार के मध्यम अवधि के अन्तर्गत तीन वर्षों हेतु प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर 2500 मेगावाट की कुल विद्युत खरीद हेतु एक प्रायोगिक योजना शुरू की है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अधिकतम आवंटित क्षमता, कुल व्यापार करने की क्षमता और निर्धारित प्रशुल्क कितना है;
- (ग) क्या योजना का मुख्य उद्देश्य वैध विद्युत खरीद करारों की अनुपस्थिति में विद्युत को न बेच पाने वाले चालू किए गए विद्युत संयंत्रों को पुनर्जीवित करने का है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : जी, हां। केंद्र सरकार ने मध्यावधि के अंतर्गत 3 (तीन) वर्षों के लिए प्रतिस्पर्धी आधार पर उत्पादकों द्वारा बिना विद्युत क्रय करार के चालू की गई परियोजनाओं से 2500 मेगावाट की कुल विद्युत की खरीद के लिए एक पायलट योजना शुरू की है। कुल विद्युत की खरीद के लिए दिशा-निर्देश और मानक बोली दस्तावेज (एसबीडी) 10 अप्रैल, 2018 को अधिसूचित किए गए हैं। डिस्कवरी ऑफ एफिशिएंट प्राइस (दीप) पोर्टल पर 01 मई, 2018 को जारी किए गए निविदा दस्तावेज की प्रतिक्रिया में 4.24/किलोवाट घंटा के प्रशुल्क पर 1900 मेगावाट की सफल बोली क्षमता प्राप्त हुई। तथापि, यह क्षमता अभी राज्यों को आवंटित की जानी है।

(ग) और (घ) : पायलट योजना का मुख्य उद्देश्य देश में नए मध्यम/दीर्घावधि पीपीए की कमी की समस्या को दूर करने के लिए वैकल्पिक विद्युत खरीद तंत्र प्रदान करना है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1444

जिसका उत्तर 26 जुलाई, 2018 को दिया जाना है ।

उदय के कार्यान्वयन की स्थिति

1444. श्री ओम बिरला:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) के कार्यान्वयन की क्या स्थिति है;
- (ख) क्या सरकार यह मानती है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों की उदय के अंतर्गत परिकल्पित उद्देश्यों के विपरीत (बिजली वितरण कंपनियों) द्वारा सूचित की गई एटी एंड सी हानियों में वृद्धि दर्ज की गई है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
- (ग) गत तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष में राज्य बिजली वितरण कंपनियों का विशेष रूप से एटी एंड सी हानियों के संदर्भ में प्रदर्शन संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा बिजली वितरण कंपनियों में होने वाली एटी एंड सी हानियों को कम करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : भारत सरकार ने 20.11.2015 को उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) की शुरुआत की है। अब तक आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, बिहार, छत्तीसगढ़, दादरा व नगर हवेली, दमन व दीव, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, मणिपुर, मध्य प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, पुडुचेरी, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड नामक 27 राज्य और 5 संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) ने अपनी विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के साथ उदय के अंतर्गत अपनी भागीदारी के लिए भारत सरकार के साथ समझौता

जापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। उदय के अंतर्गत भागीदार राज्यों द्वारा 2.32 लाख करोड़ रुपये मिलने के बॉण्ड जारी किए हैं।

(ख) और (ग) : उदय पोर्टल पर भागीदार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा डाले गए आंकड़ों के अनुसार समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों का राष्ट्रीय औसत वित्तीय वर्ष 2015-16 में 20.74% से घटकर वित्तीय वर्ष 2017-18 में 18.76% हो गया है। एटीएंडसी हानि का निष्पादन कई घटकों, जिनमें सब्सिडी प्राप्ति, बिलिंग और संग्रहण दक्षताएं शामिल हैं, पर निर्भर करता है। सूचित एटीएंडसी हानियों का ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(घ) : सरकार ने एटीएंडसी हानियों को कम करने के लिए कई उपाय किए हैं जिनमें अन्य उपायों के साथ-साथ समग्र राज्य निष्पादन की कड़ी निगरानी, अधिक एटीएंडसी हानियों वाले प्रभागों को अभिचिह्नित करना, एटीएंडसी हानियों में कमी करने में निकायों का क्षमता निर्माण तथा नेमी आधार पर डिस्कॉम के अच्छे काम करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत करना शामिल हैं।

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 26.07.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1444 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

वित्तीय वर्ष 2015-16, वित्तीय वर्ष 2016-17 तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान दर्ज की गई राज्य-वार एटीएंडसी हानियां (% में)

क्र.सं.	राज्य	वित्तीय वर्ष 16 (आधार वर्ष उपलब्धि)	वित्तीय वर्ष 17 (उपलब्धि)	वित्तीय वर्ष 18 (उपलब्धि)
1.	आंध्र प्रदेश	9.41	10.96	8.69
2.	असम	25.51	23.81	16.6
3.	बिहार	43.74	38.97	33.19
4.	छत्तीसगढ़	21.79	19.34	18.8
5.	दादरा व नगर हवेली	0	9.23	6.09
6.	दमन व दीव	13.25	10.65	10.34
7.	गोवा	17.12	16.79	16.12
8.	गुजरात	15.04	12.28	11.71
9.	हरियाणा	29.83	25.43	20.29
10.	हिमाचल प्रदेश	12.92	8.48	3.41
11.	जम्मू एवं कश्मीर	61.6	61.34	53.78
12.	झारखण्ड	34.71	31.8	31.78
13.	कर्नाटक	14.94	15.36	14.71
14.	केरल	16.03	17.28	12.05
15.	मध्य प्रदेश	23.97	26.53	29.74
16.	महाराष्ट्र	19.07	18.88	17.45
17.	मणिपुर	44.21	36.89	24.61
18.	मेघालय	36.48	34.87	31.88
19.	पुडुचेरी	19.88	18.98	19.56
20.	पंजाब	15.9	14.46	18.21
21.	राजस्थान	30.41	26.02	19.74
22.	तमिलनाडु	14.38	14.53	14.23
23.	तेलंगाना	13.95	15.88	14.7
24.	त्रिपुरा	20.94	16.61	15.52
25.	उत्तर प्रदेश	26.47	30.21	27.67
26.	उत्तराखण्ड	17.19	14.02	15.73

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1447

जिसका उत्तर 26 जुलाई, 2018 को दिया जाना है।

फलाई ऐश का निपटान

1447. श्री जी. हरि:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फलाई ऐश को निपटाना सरकार के लिए चिंता का विषय है क्योंकि लगभग 176 मिलियन टन फलाई ऐश प्रति वर्ष उत्पन्न होती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वर्तमान में केवल 63 प्रतिशत फलाई ऐश का ही उपयोग किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी 1000 मेगावाट के ताप विद्युत संयंत्र को इसकी फलाई ऐश को निपटाने के लिए लगभग 250 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : जी हाँ। फलाई ऐश निपटान सरकार के लिए चिंता का विषय है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा देश में 155 ताप विद्युत स्टेशनों से एकत्र किए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2016-17 के दौरान लगभग 169.25 मिलियन टन फलाई ऐश सृजित हुई थी। नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार लगभग 63.28% फलाई ऐश का उपयोग विभिन्न तरीकों से किया गया था:

क्र.सं.	उपयोग का प्रकार	उपयोगिता के आधार पर उपयोग की गई फलाई ऐश की मात्रा (2016-17)	
		मिलियन-टन	प्रतिशत (%)
i	सीमेंट	40.5869	23.98

ii	खान भराई	11.7827	6.96
iii	ईंटें एवं टाइलें	14.9110	8.81
iv	रिक्लेमेशन ऑफ लो लाइंग क्षेत्र	11.0392	6.52
v	ऐश डाइक रेजिंग	11.8888	7.02
vi	सड़कें एवं फ्लाईओवर	6.1942	3.66
vii	कृषि	1.9243	1.14
viii	कंक्रीट	0.7647	0.45
ix	हाइड्रो पावर क्षेत्र	0.0197	0.01
x	अन्य	7.9840	4.72
xi	अनुपयोगी फ्लाई ऐश	62.1577	36.72
कुल		169.2534	100.00

(ग) और (घ) : सीईए की रिपोर्ट "ताप विद्युत स्टेशन के लिए भूमि की आवश्यकता की समीक्षा" के अनुसार 1,000 मेगावाट के ताप विद्युत संयंत्र को अपनी फ्लाई ऐश डंप करने के लिए लगभग 250 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1454

जिसका उत्तर 26 जुलाई, 2018 को दिया जाना है ।

जल विद्युत उत्पादन क्षमता

1454. डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान में जल विद्युत उत्पादन की कितनी क्षमता है;

(ख) क्या इस क्षमता के आकलन/अध्ययन हेतु सर्वेक्षण कार्य को विभिन्न एजेंसियों को सौंपा गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में देश के विभिन्न राज्यों में कितनी जल विद्युत उत्पादित की जा रही है;

(घ) विभिन्न कारणों से अपूर्ण जल विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं पर अब तक कितनी राशि खर्च की गई है;

(ङ) क्या सरकार द्वारा इन परियोजनाओं के पूर्ण होने में विलंब के कारण होने वाली हानि के आकलन हेतु कोई अध्ययन करवाया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : 1978 से 1987 के दौरान केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा किए गए पुनर्निर्धारण अध्ययनों के अनुसार प्रमुख/मध्यम योजनाओं (25 मेगावाट क्षमता से अधिक) की जल विद्युत क्षमता 145320 मेगावाट है। दिनांक 30.06.2018 की स्थिति के अनुसार पम्पड स्टोरेज स्कीम (25 मेगावाट क्षमता से अधिक) सहित देश में कुल जल विद्युत उत्पादन क्षमता 45315.22 मेगावाट है।

(ख) : विगत में आंकी गई जल विद्युत उत्पादन क्षमता के पुनर्निर्धारण का कार्य मार्च, 2017 में वैपकाँस लिमिटेड (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र का एक उपक्रम) के सहयोग से सीईए द्वारा शुरू किया गया।

(ग) : देश में वर्ष 2017-18 के दौरान कुल जल विद्युत उत्पादन (25 मेगावाट से अधिक क्षमता की जल विद्युत परियोजनाओं (एचईपी) से) 126122.70 मिलियन यूनिट (एमयू) है और 2018-19 (30.06.2018 तक) में 31457.85 एमयू है। 25 मेगावाट क्षमता से अधिक की जल विद्युत परियोजनाओं के संबंध में राज्यवार उत्पादन **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(घ) से (च) : दिनांक 30.06.2018 की स्थिति के अनुसार देश में कुल 12208.50 मेगावाट की 38 जल विद्युत परियोजनाएं (25 मेगावाट से अधिक) निर्माणाधीन हैं और इन परियोजनाओं पर कुल 56913.42 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है। इनमें से कुल 11023.50 मेगावाट 35 जल विद्युत परियोजनाएं विभिन्न कारणों से विलंबित हैं। इन परियोजनाओं का ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है। इन परियोजनाओं को पूरा करने में विलंब के कारण हानि का आंकन करने के लिए कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है।

अनुबंध-1

लोक सभा में दिनांक 26.07.2018 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 1454 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

देश में जल विद्युत परियोजनाओं के संबंध में राज्य-वार वास्तविक उत्पादन (25 मेगावाट क्षमता से अधिक)

क्र.सं.	राज्य	संस्थापित क्षमता (मेगावाट) (30.06.2018 की स्थिति के अनुसार)	उत्पादन (एमयू)	
			2017-18	2018-19* (30.06.2018 की स्थिति के अनुसार)
1.	हिमाचल प्रदेश	9755.02	38783.19	9172.24
2.	जम्मू एवं कश्मीर	3449.00	14937.56	5167.92
3.	पंजाब	1096.30	4724.30	812.85
4.	राजस्थान	411.00	819.53	8.49
5.	उत्तर प्रदेश	501.6	1486.69	132.00
6.	उत्तराखण्ड	3756.35	13983.42	2983.13
7.	छत्तीसगढ़	120.00	178.07	25.15
8.	गुजरात	1990.00	1551.92	102.55
9.	मध्य प्रदेश	2395.00	2746.43	389.80
10.	महाराष्ट्र	2887.00	4701.50	1834.20
11.	आंध्र प्रदेश	1150.00	1159.03	61.70
12.	तेलंगाना	2835.60	2601.75	132.86
13.	कर्नाटक	3644.20	7142.62	1981.77
14.	केरल	1856.50	5199.26	1739.29
15.	तमिलनाडु	2178.20	2919.60	791.53
16.	झारखण्ड	273.20	447.78	36.66
17.	ओडिशा	2142.25	6021.99	1589.75
18.	सिक्किम	2169.00	8887.94	2526.10
19.	पश्चिम बंगाल	1278.00	2164.04	674.60
20.	असम	350.00	1918.58	443.48
21.	मेघालय	322.00	1140.26	242.00
22.	नागालैण्ड	75.00	274.39	51.66
23.	अरुणाचल प्रदेश	515.00	1416.74	343.05
24.	मणिपुर	105.00	837.74	172.09
25.	मिजोरम	60.00	78.37	42.98
	कुल अखिल भारत	45315.22	126122.70	31457.85

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 26.07.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1454 के भाग (घ) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

देश में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं की सूची (25 मेगावाट से अधिक)

(30.06.2018 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	परियोजनाओं का नाम / क्षमता (मेगावाट) / निष्पादन एजेंसी	राज्य	विलंब के कारण	व्यय आधिक्य (रु. करोड़ में)
	केंद्रीय क्षेत्र			
1.	तपोवन विष्णुगाड (4x130=520 मेगावाट) एनटीपीसी	उत्तराखंड	<ul style="list-style-type: none"> ➤ एचआरटी में खराब भूविज्ञान और टीबीएम पर पत्थर गिरने के कारण अत्यधिक जल का प्रवेश। ➤ जून, 2013 में अचानक बाढ़ और अग.'12 में कॉफर डैम का क्षतिग्रस्त होना। ➤ बैराज और एचआरटी के लिए सिविल संविदाओं की समाप्ति। सिविल संविदाकारों के साथ नकदी प्रवाह मामला। 	3542.00
2.	लता तपोवन (3x57=171 मेगावाट) एनटीपीसी	उत्तराखंड	<ul style="list-style-type: none"> ➤ उत्तराखण्ड में जून, 2013 के दौरान अचानक बाढ़। ➤ बैराज क्षेत्र में स्थानीय मामले/कार्य प्रारंभ न होना। ➤ माननीय उच्चतम न्यायालय ने मई, 2014 से निर्माण कार्य जारी रखने पर रोक लगाई। 	146.00
3.	रम्माम-III (3x40=120 मेगावाट) एनटीपीसी	पश्चिम बंगाल	<ul style="list-style-type: none"> ➤ एडिट-1 से एडिट-2 तक संपर्क सड़क के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से पेड़ों को गिराने के लिए अनुमति प्राप्त होने में विलंब। ➤ सिविल संविदाकारों के साथ नकदी प्रवाह मामला। ➤ गोरखालैंड आंदोलन के दौरान हड़ताल/बंद। 	324.00
4.	कामेंग (4x150=600 मेगावाट) नीपको	अरुणाचल प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> ➤ बांध पैरामीटरों में परिवर्तन। ➤ खराब भूविज्ञान, अत्यधिक रिसाव, अपर्याप्त मशीनरी के कारण बांध एवं एचआरटी में धीमी प्रगति। ➤ अक्टूबर, 2008 और सितंबर, 2012 में अचानक बाढ़। ➤ एचआरटी में जल का प्रवेश। ➤ खराब पहुंच सड़क। ➤ संविदात्मक मामले। ➤ मिलावे की कमी। ➤ राज्य सरकार से खदान के लिए स्वीकृति। ➤ कार्यों की धीमी प्रगति। ➤ पेनस्टॉक में रिसाव एवं खराबी में सुधार। ➤ सिविल संविदाकारों के साथ नकदी प्रवाह मामला। 	6443.26
5.	टिहरी पीएसएस (4x250=1000 मेगावाट) टीएचडीसी	उत्तराखंड	<ul style="list-style-type: none"> ➤ एल-1 कीमत बोली के रूप में आरसीई का अनुमोदन लागत अनुमानों से अधिक था।आरसीई नवंबर, 2011 में अनुमोदित किया गया। ➤ संविदाकार के पास नकद प्रवाह समस्या। ➤ बोलीदाताओं द्वारा मुकदमेबाजी। ➤ खराब भूविज्ञान। ➤ असेना क्वारी में स्थानीय विरोध। ➤ मक डिस्पोजल क्षेत्र में विरोध। ➤ ठेकेदार की खराब तैयारी। ➤ खराब भौगोलिक स्थिति के कारण मशीन हॉल के ले आउट का संशोधन। 	2573.88

6.	पारबती-II (4x200=800 मेगावाट) एनएचपीसी	हिमाचल प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> ➤ माननीय उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश ने स्टोन क्रशर प्रचालन पर रोक लगाई। ➤ संशोधित वन स्वीकृति में विलंब। ➤ नवंबर, 2006 में टीबीएम फेस में पानी और गाद के भारी मात्रा में प्रवेश करने के कारण टीबीएम को अत्यधिक क्षति हुई। ➤ अप्रैल, 04, जून, 06 और फरवरी, 07 में पावर हाउस क्षेत्र में स्लाइड। ➤ 2004,2005,2010 और 2011में अचानक बाढ़। ➤ केविटी ट्रीटमेंट के कारण जीवा नाला कार्य प्रभावित हुआ। ➤ संविदा संबंधी मामले। ➤ एचआरटी में खराब भूविज्ञान। ➤ सिविल संविदाकारों के साथ नकदी प्रवाह मामला। 	6715.69
7.	सुबानसिरी लोअर (8x250=2000 मेगावाट) एनएचपीसी	अरुणाचल प्रदेश/असम	<ul style="list-style-type: none"> ➤ वन भूमि के अंतरण में विलंब। ➤ अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में स्थानीय लोगों द्वारा कार्यों में बाधा। ➤ जनवरी, 2008 में पावर हाउस में स्लोप विफलता। ➤ रंगानदी नदी पर पुल क्षति। ➤ सर्ज शॉफ्ट्स से सर्ज टनल्स के डिजाइन में परिवर्तन। ➤ परियोजना के निर्माण के विरोध में बांध विरोधी कार्यकर्ताओं द्वारा घोषित आंदोलन के कारण कार्यबंदी। दिनांक 16.12.2011 से कार्य रूक गया। ➤ डी/एस प्रभाव अध्ययनों का मामला। ➤ एनजीटी में मामला। 	10130.33
8.	विष्णुगाड पीपलकोटि (4x111=444 मेगावाट) टीएचडीसी	उत्तराखंड	<ul style="list-style-type: none"> ➤ सीसीईए अनुमोदन अगस्त, 2008 में प्राप्त परंतु वन स्वीकृति/वन भूमि के परिवर्तन के कारण कार्य अवाई नहीं किया जा सका। वन भूमि जनवरी, 14 में अधिगृहीत की गई तथा बाद में जनवरी,2014 में कार्य अवाई किया गया। ➤ स्थानीय लोगों द्वारा विरोध। ➤ संविदाकार के पास नकद प्रवाह समस्या। 	1423.40
9.	नैतवार मोरी (2x30= 60 मेगावाट) एसजेवीएन	उत्तराखण्ड	वर्ष 2018 में निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ।	102.04
10.	पकलदुल (4x250=1000 मेगावाट) सीवीपीपीएल	जम्मू एवं कश्मीर	वर्ष 2018 में निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ।	993.93
	राज्य क्षेत्र			
11.	परनई (3x12.5=37.5 मेगावाट) जेकेएसपीडीसी)	जम्मू एवं कश्मीर	<ul style="list-style-type: none"> ➤ कार्य की धीमी प्रगति। ➤ भूमि अधिग्रहण में विलंब। 	138.80
12.	लोअर कलनई (2x24=48 मेगावाट) जेकेएसपीडीसी)	जम्मू एवं कश्मीर	<ul style="list-style-type: none"> ➤ संविदाकार द्वारा मानव एवं मशीनरी का अपर्याप्त जुटाव। ➤ आरएण्डआर योजना को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब। ➤ कार्यों की धीमी प्रगति। ➤ संविदाकार के साथ वित्तीय कठिनाईयां। सीडीआर के अंतर्गत संविदाकार। 	87.94
13.	उहल-III (3x33.33=100 मेगावाट) बीवीपीसीएल	हिमाचल प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> ➤ वन भूमि के अंतरण में विलंब। ➤ निजी भूमि के अधिग्रहण में विलंब। ➤ खदान स्थलों के अंतरण में विलंब। ➤ कार्यों को अवाई करने में विलंब। ➤ संविदाकर्ता द्वारा धीमी प्रगति और कार्य न करने के कारण अप्रैल, 2008 और जुलाई, 2010 के दौरान एचआरटी निर्माण के लिए दो बार संविदा रद्द की गई। ➤ एचआरटी में खराब भौगोलिक स्थिति। 	1459.21

14.	स्वारा कुड़्डू (3x37=111मेगावाट) एचपीपीसीएल	हिमाचल प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> ➤ एमओईएफ स्वीकृति में विलंब। ➤ सिविल एवं ईएंडएम कार्यों को अवाई करने में विलंब। ➤ एचआरटी में खराब भौगोलिक स्थिति। ➤ एचआरटी लाइनिंग की धीमी प्रगति। ➤ संविदा संबंधी मामले। ➤ एचआरटी पैकेज के लिए कांट्रैक्ट 09.01.2014 को समाप्त कर दिया गया। मैसर्स एचसीसी को नवंबर, 2014 में कार्य पुनः अवाई किया गया। 	1232.51
15.	शॉगटम करछम (3x150=450 मेगावाट) एचपीपीसीएल 16.08.2012	हिमाचल प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> ➤ आर्मी एम्युनिशन डिपो का स्थानांतरण। ➤ स्थानीय मामले। 	658.81
16.	पुलीचिंताला (4x30=120 मेगावाट) टीजेको	राज्य	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ईएंडएम कार्यों के अवाई में विलंब। ➤ अक्टूबर, 2009 और सितंबर, 2011 में अप्रत्याशित बाढ़। ➤ संविदा संबंधी मामले। ➤ विद्युत गृह कार्यों की धीमी प्रगति। ➤ जल की अनुपलब्धता के कारण चालू होने में विलंब। 	486.51
17.	पल्लीवसल (2x30=60 मेगावाट) केएसईबी	केरल	<ul style="list-style-type: none"> ➤ सिविल कार्यों की धीमी प्रगति। ➤ भूमि अधिग्रहण में विलंब। ➤ एचआरटी के लिए अड्रिट के संरेखण में परिवर्तन। ➤ एचआरटी में खराब भौगोलिक स्ट्राटा। ➤ भारी मानसून ➤ संविदागत मामलों के कारण संविदाकार द्वारा कार्य 28.1.15 से रोक दिया गया। संविदाकार द्वारा चरण-I का कार्य, जो अब उसके कार्य में शामिल है, का इनटेक एवं शेष अननेलिंग कार्य के अतिरिक्त अप्रैल, 2017 में शेष कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। 	248.00
18.	थोटियार (1x30+1x10=40मेगावाट) केएसईबी	केरल	<ul style="list-style-type: none"> ➤ भूमि अधिग्रहण मुद्दे। ➤ स्थानीय लोगों द्वारा 2010 से 2012 तक वायर और अप्रोच चैनल के कार्य रोक दिए गए। ➤ न्यायालय द्वारा 12.12.2012 से अप्रैल, 2013 तक कार्य रोक दिया गया। ➤ संविदागत मामले। ➤ संविदाकार के पास वित्तीय कठिनाई। ➤ अप्रैल, 2017 में पूर्ववर्ती संविदा का समापन और शेष कार्य जनवरी, 2018 में पुनः अवाई। 	61.08
19.	शाहपुरकंडी (3x33+3x33+1x8 =206 मेगावाट) सिंचाई विभाग और पीएसपीसीएल	पंजाब	<ul style="list-style-type: none"> ➤ रावी और तारीफ नदी के जलों के बंटवारे एवं प्रशुल्क पर जम्मू एवं कश्मीर तथा पंजाब राज्यों के बीच अंतरराज्यीय विवाद के कारण 29.08.2014 से बांध का कार्य रूक गया। 	650.00
20.	कोयना लेफ्ट बैंक पीएसएस (2x40=80 मेगावाट) डब्ल्यूआरडी, महा.	महाराष्ट्र	<ul style="list-style-type: none"> ➤ कार्यों की धीमी प्रगति। ➤ परियोजना लागत में वृद्धि के कारण वित्तीय कठिनाईयां। आरसीई अनुमोदनाधीन। 	334.59
21.	व्यासी (2x60=120 मेगावाट) यूजेवीएनएल	उत्तराखंड	<ul style="list-style-type: none"> ➤ कार्यों को अवाई करने में विलंब। ➤ स्थानीय मामले। 	586.46
22.	पोलावरम (12x80=960 मेगावाट) एप्जेनको/सिंचाई विभाग, आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> ➤ कार्यों की धीमी प्रगति। ➤ वित्तीय कठिनाई। ➤ ईएण्डएम कार्य अभी अवाई किया जाना है। 	382.04
23.	कुंडाह पम्पड स्टोरेज	तमिलनाडु	वर्ष 2018 में निर्माण कार्य प्रारंभ।	137.00

	(1x25=25 मेगावाट) टैनजेडको			
	निजी क्षेत्र			
24.	टिडोंग-I (2x50=100 मेगावाट) एनएसएल टिडोंग	हिमाचल प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> ➤ परियोजना प्रभावित पंचायतों द्वारा एनओसी में विलंब। ➤ सरकार द्वारा एक वर्ष के लिए कार्यों को स्थगित करना। ➤ विकासकर्ता के पास वित्तीय कठिनाईयां। 	727.57
25.	टंगनु रोमई-I (2x22=44 मेगावाट) टीआरपीजीपीएल	हिमाचल प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> ➤ सिविल कार्यों की धीमी प्रगति। ➤ खराब भौगोलिक परिस्थिति। ➤ कठिन क्षेत्र। ➤ जलवायु परिस्थितियां एवं पहुंच। ➤ विकासकर्ता के पास वित्तीय कठिनाईयां। 	329.36
26.	सोरांग (2x50=100 मेगावाट), एचएसपीपीएल	हिमाचल प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> ➤ खराब भौगोलिक स्थिति। ➤ खराब मौसम स्थितियां, दुर्गम एवं खराब पहुँच। ➤ नवंबर, 2013 में वाटर कंडक्टर सिस्टम के भराव के दौरान पैनस्टॉक क्रैक्स/लीकेज। ➤ ट्रायल रन के दौरान नवंबर, 2015 में सर्फिस पैनस्टॉक में दरार। ➤ विकासकर्ता के पास वित्तीय कठिनाईयां। 	1380.00
27.	सिंगोली भटवारी (3x33=99 मेगावाट) एलएंडटी	उत्तराखंड	<ul style="list-style-type: none"> ➤ एचआरटी में खराब भौगोलिक स्थिति। ➤ स्थानीय लोगों द्वारा विरोध। ➤ जून, 2013 में अचानक बाढ़। 	1474.00
28.	फाटा ब्यूंग (2x38=76 मेगावाट), लैंको	उत्तराखंड	<ul style="list-style-type: none"> ➤ जून, 2013 में अचानक बाढ़। ➤ एचआरटी में खराब भौगोलिक स्थिति। 	1135.00
29.	महेश्वर (10x40=400 मेगावाट) एसएमएचपीसीएल	मध्य प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> ➤ आरएंडआर मुद्दे। ➤ विकासकर्ता के साथ नकदी प्रवाह की समस्या। ➤ अग्रणी ऋणदाता पीएफसी ने 01 जून, 2016 से एसएमएचपीसीएल में प्रमुख धारिता 51% का अधिग्रहण किया। मामला न्यायाधीन है। 	3135.00
30.	तीस्ता स्टेज-VI (4x125=500 मेगावाट) लैंको एनर्जी प्रा. लि.	सिक्किम	<ul style="list-style-type: none"> ➤ खराब भौगोलिक स्थिति। ➤ भूमि अधिग्रहण। ➤ संविदा संबंधी मामले। ➤ विकासकर्ता के साथ निधि संबंधी बाधाएं। 	3621.00
31.	रंगित-IV एचई परियोजना (3X40=120 मेगावाट) जेपीसीएल	सिक्किम	<ul style="list-style-type: none"> ➤ खराब भौगोलिक स्थिति के कारण एचआरटी और सर्ज शॉफ्ट कार्यों की धीमी प्रगति। ➤ सितंबर, 2011 में भूकंप के कारण कार्य बाधित हुए। ➤ विकासकर्ता के साथ वित्तीय बाधाएं। 	818.44
32.	भास्मे (2x25.5=51 मेगावाट) गति इंफ्रास्ट्रक्चर	सिक्किम	<ul style="list-style-type: none"> ➤ वन स्वीकृति। ➤ विकासकर्ता के साथ वित्तीय बाधाएं। 	353.00
33.	रोंगनीचू (2x48=96 मेगावाट) मध्य भारत प्रा. लि.	सिक्किम	<ul style="list-style-type: none"> ➤ भूमि अधिग्रहण। ➤ खराब भूविज्ञान। 	873.18
34.	रत्ने (4x205+1x30=850 मेगावाट) रत्ने एचईपी प्रा. लि.	जम्मू एवं कश्मीर	<ul style="list-style-type: none"> ➤ कार्यों की धीमी प्रगति। ➤ बार-बार स्थानीय बाधाओं के कारण 11.07.2014 से कार्य रुका। ➤ विकासकर्ता राज्य सरकार को परियोजना अभ्यर्पित करना चाहते हैं। जम्मू एवं कश्मीर सरकार, पीडीडी द्वारा 09.02.2017 को पीपीए समाप्त कर दिया गया और जेकेएसपीडीसी को अधिग्रहण का निदेश दिया गया। ➤ जीवीकेआरएचईपीपीएल तथा जेकेपीडीडी नामक पक्षकारों ने अपने संबंधित दावों पर विरोध दर्ज किया तथा अब यह मामला 	1451.00

			न्यायाधीन है।	
35.	गोंगरी (2x72=144 मेगावाट) दिरांग एनर्जी (प्रा.) लि.	अरुणाचल प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> ➤ कार्य 22.11.2011 को अवाई किया गया। तथापि, 19.05.2014 को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापना संबंधी सहमति जारी की गई। ➤ विकासकर्ता के पास वित्तीय कठिनाईयां। ➤ परियोजना के निष्पादन के लिए राज्य सरकार द्वारा विकासकर्ता के साथ करार समाप्त कर दिया गया। 	599.56
36.	बजोली होली (3x60=180 मेगावाट) मैसर्स जीएमआर बजोली होली	हिमाचल प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> ➤ कार्यो की धीमी प्रगति। 	1864.00
37.	रंगित-II (2x33=66 मेगावाट) सिक्किम हाइड्रो पावर लि.	सिक्किम	<ul style="list-style-type: none"> ➤ कार्यो की धीमी प्रगति। ➤ विकासकर्ता के पास वित्तीय कठिनाईयां। 	126.83
38.	पनन (4x75= 300 मेगावाट) हिमगिरी हाइड्रो एनर्जी प्रा. लि.	सिक्किम	<ul style="list-style-type: none"> ➤ दिसंबर, 2015 में एनडब्ल्यूएलबी से स्वीकृति प्राप्त हुई। ➤ एनजीटी से स्वीकृति प्राप्त। ➤ एनडब्ल्यूएलबी एंगल में सिक्किम सरकार से एनओसी के लिए आवेदन किया गया। 	168.00
			कुल	56913.42

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1455

जिसका उत्तर 26 जुलाई, 2018 को दिया जाना है ।

गांदरबल पन बिजली परियोजना

1455. डॉ. फारुख अब्दुल्ला:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 93 मेगावाट की नई गांदरबल पनबिजली परियोजना का कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस परियोजना का कार्य एचसीसी को आबंटित करने के बावजूद इसमें अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ग) : जेएंडके स्टेट पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन (जेकेएसपीडीसी) द्वारा 08.08.2017 को सबसे कम बोलीदाता मैसर्स हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी (एचसीसी) को अवार्ड की अधिसूचना जारी करने के बावजूद अब तक 93 मेगावाट की नई गांदरबल जल विद्युत परियोजना का कार्य शुरू नहीं किया गया है। मैसर्स एचसीसी ने जेकेएसपीडीसी को 82 करोड़ रुपये के लिए अपेक्षित परफॉर्मंस बैंक गारंटी प्रस्तुत नहीं की है और इस प्रकार परियोजना के निष्पादन के लिए संविदा करार हस्ताक्षरित नहीं हो सका। जेकेएसपीडीसी ने 03.01.2018 को निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) निबंधनों की शर्तों के अनुसार 10 करोड़ रुपये के लिए मैसर्स एचसीसी की बैंक गारंटी (ईएमडी) की सहायता ली।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1462

जिसका उत्तर 26 जुलाई, 2018 को दिया जाना है ।

सौभाग्य योजना के अंतर्गत बैंक एंड अवसंरचना

1462. श्रीमती प्रत्युषा राजेश्वरी सिंह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सौभाग्य योजना के अंतर्गत कोई बैंक एंड आधारभूत सुधार प्रणाली प्रदान नहीं की जाती है (11केवी/33 केवी लाइन्स ट्रांसफार्मर इत्यादि सहित एचटी तन्त्र) और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या पूर्व केंद्रीय योजनाएं जैसे आरजीजीवीवाई योजना और डीडीयूजीजेवाई योजना इस प्रयोजनार्थ प्रत्येक परिवार को लगभग 2100 और 5000 रुपये प्रदान करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या यह मंत्रालय आरजीजीवीवाई और डीडीयूजीजेवाई योजनाओं के अंतर्गत दी गई अनुमति के समान सौभाग्य योजना के अंतर्गत भी बैंक एंड आधारभूत लागत की अनुमति देने के लिए किसी प्रावधान पर विचार कर रहा है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (घ) : भारत सरकार ने सार्वभौमिक घरों को विद्युतीकृत करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-सौभाग्य की शुरुआत की है। प्रत्येक गाँव में आरई घटक सहित ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए विद्युत अवसंरचनाओं के सुदृढीकरण और फीडर पृथक्करण के माध्यम से कुशल ग्रामीण वितरण प्रणाली, पर्याप्त क्षमता के साथ 33 केवी लाइनों के साथ उपकेंद्रों के निर्माण और पर्याप्त क्षमता के साथ वितरण ट्रांसफार्मरों एवं 11 केवी और एलटी लाइन, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत राज्यों की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

इस प्रकार डीडीयूजीजेवाई, सौभाग्य के लिए आवश्यक बैंक एंड प्रणाली अवसंरचना उपलब्ध कराती है। सौभाग्य अंतिम छोर पर कनेक्टिविटी तथा सभी ग्रामीण घरों एवं शहरी क्षेत्रों में गरीब घरों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध कराती है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1465

जिसका उत्तर 26 जुलाई, 2018 को दिया जाना है ।

बिजली भंडारण तकनीकें

1465. श्री एम. चन्द्राकाशी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आज की तिथि तक विद्युत की मांग और आपूर्ति कितनी है;

(ख) देश में विद्युत भंडारण तकनीकों/उपकरणों और उनके प्रयोग की सीमा के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में वर्तमान में तथा भविष्य में विद्युत भंडारण/उपकरण के उत्पादन हेतु लिथियम की पर्याप्त आपूर्ति है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्तमान में विदेशों से लिथियम की कितनी मात्रा का आयात किया जाता है और इस आयात में कमी लाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : 30 जून, 2018 की स्थिति के अनुसार, संस्थापित उत्पादन क्षमता लगभग 344 गीगावाट (जीडब्ल्यू) है जो देश में लगभग 170 जीडब्ल्यू की वर्तमान व्यस्ततम मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त से अधिक है।

(ख) : स्टोरेज प्रौद्योगिकी अभी विकसित की जा रही है और इसका उपयोग लागत अर्थव्यवस्था और इसकी व्यवहार्यता पर निर्भर करेगा। तथापि, सरकार नेशनल एनर्जी स्टोरेज मिशन बनाने के लिए काम कर रही है।

(ग) और (घ) : देश अभी तक लीथियम आयन सेल्स का उत्पादन नहीं करता है और इनका आयात करता है। ये सेल्स भारत में केवल असंबल किए जा रहे हैं। वर्तमान में, विद्युत क्षेत्र के लिए उपयोग किए जाने हेतु बेहतर तथा अधिक लागत प्रभावी स्टोरेज प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए विश्वव्यापी अनुसंधान किए जा रहे हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1490

जिसका उत्तर 26 जुलाई, 2018 को दिया जाना है।

विद्युत वाहन चार्जिंग स्टेशन

1490. श्री प्रहलाद जोशी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने विद्युत वाहन चार्जिंग स्टेशनों के लिए राष्ट्रीय मानकों के कार्यान्वयन के लिए सिफारिशों/उपायों को अपनाया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) यदि नहीं, तो क्या ऐसा करने का कोई प्रस्ताव है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (घ) : विद्युत वाहनों (ईवी), चार्जिंग स्टेशनों और नेटवर्क इंटरफेस से संबंधित प्रारूप मानक दस्तावेज निरूपित करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा एक समिति अर्थात् इलेक्ट्रोटेक्नोलॉजी इन मोबिलिटी सेक्शनल कमिटी ईटीडी 51 गठित की गई है।

चार्जर विनिर्दिष्टियों के संबंध में भारी उद्योग विभाग ने छोटे विद्युत वाहनों की चार्जिंग की जरूरत को पूरा करने के लिए "भारत चार्जर विनिर्दिष्टियां" संबंधी अधिसूचना जारी की है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) से शीघ्र ही भारतीय मानक विकसित करने का अनुरोध किया गया है। भारतीय मानक ब्यूरो और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ईवी चार्जिंग के लिए भारतीय मानक विकसित करने की दिशा में संयुक्त रूप से कार्य कर रहे हैं।

चार्जिंग स्टेशनों के लिए ग्रिड कनेक्टिविटी और आपूर्ति की सुरक्षा के संबंध में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने सीईए के निम्नलिखित विनियमों में संशोधनों का प्रारूप तैयार किया है:

- i. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (वितरित जेनरेशन संसाधनों की कनेक्टिविटी के तकनीकी मानक) विनियम, 2013
- ii. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुधार और बिजली आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1495

जिसका उत्तर 26 जुलाई, 2018 को दिया जाना है ।

तमिलनाडु में 'उदय'

1495. श्री के.एन. रामचन्द्रनः

श्री पी.आर. सेनथिन्लनाथनः

श्री आर.के. भारती मोहनः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या केंद्र सरकार ने टीएएनजीईडीसीओ और टीएनईबी को लंबे समय से हो रही हानि और ऋण के कारण उत्पन्न समस्याओं को कम करने के लिए तमिलनाडु सरकार को उज्ज्वल डिस्कोम आश्वासन योजना (उदय) के अंतर्गत पर्याप्त निधि प्रदान की है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कुल अनुदानों में से अब तक कितनी राशि जारी की गई है;
- (ग) क्या केंद्र सरकार का तमिलनाडु को केंद्र द्वारा संचालित केकेएनपी1 और 2 के साथ-साथ अन्य विद्युत परियोजनाओं सहित विद्युत परियोजनाओं से विद्युत आवंटन बढ़ाने का विचार है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (ङ) सरकार द्वारा तमिलनाडु की बढ़ती विद्युत मांग को पूरा करने के लिए इसके चेयूर, उड़नकुडी और अन्य स्थानों पर नई विद्युत परियोजनाओं की मदद के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : राज्य विद्युत वितरण यूटिलिटीयों की देयताएं राज्यों की आकस्मिक देयताएं हैं। भारत सरकार उदय के अंतर्गत राज्यों को निधियां नहीं देती है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, तमिलनाडु सरकार ने 22815 करोड़ रुपए का टेनजेडको का ऋण ले लिया है।

(ग) और (घ) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) को राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, चालू वर्ष 2018-19 (अप्रैल से जून, 2018) के दौरान तमिलनाडु में ऊर्जा की कमी केवल 0.1% थी। वर्तमान में, तमिलनाडु को केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों से 6319 मेगावाट विद्युत आबंटित की गई है। यदि राज्य सरकारें केंद्रीय पूल से अतिरिक्त विद्युत के लिए कोई अनुरोध करती हैं तो उपलब्धता के अनुसार विद्युत उपलब्ध कराई जाती है।

(ङ) : भारत सरकार आयातित कोयले के स्थान पर घरेलू कोयला उपलब्ध कराकर, उपयुक्त कोयला ब्लॉक अभिचिन्हित करके आदि टेनजेडको द्वारा तमिलनाडु में चेर्यूर, उडानगुडी और अन्य स्थानों पर विकसित किए जाने वाली नई विद्युत परियोजनाओं की सहायता कर रही है। सरकार ने केंद्रीय और राज्य उत्पादन कंपनियों को अधिसूचित कीमत पर नए कोयला लिंकेजों के लिए 17.05.2017 को शक्ति नीति भी अनुमोदित की है। इसके अतिरिक्त, विद्युत मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के एक उपक्रम पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी) ने चेर्यूर अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट (यूएमपीपी) के लिए कंपनी अधिनियम के अंतर्गत स्पेशल परपज वेहिकल (एसपीवी) के रूप में पूर्ण स्वामित्व वाली दो सहायक कंपनियां नामतः आपरेटिंग एसपीवी के रूप में कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड (सीटीएनपीएल) तथा इंफ्रास्ट्रक्चर एसपीवी के रूप में चेर्यूर इंफ्रा लिमिटेड (सीआईएल) स्थापित की हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1500

जिसका उत्तर 26 जुलाई, 2018 को दिया जाना है ।

विद्युत मांग और उत्पादन के मध्य अंतर

1500. प्रो. के.वी. थॉमस:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दस वर्षों के दौरान देश में विद्युत की खपत में वृद्धि हुई है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) गत दो वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान विद्युत की मांग और उत्पादन संबंधी वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस अंतर को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या केंद्र सरकार का विचार विद्युत की मांग और उत्पादन में अंतर को कम करने के लिए देश में और अधिक विद्युत संयंत्रों की स्थापना करने का है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार द्वारा देश में, विशेष रूप से गुजरात और केरल में केंद्रीय योजना के अंतर्गत किसी नई परियोजना की स्वीकृति प्रदान की गई है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ग) : जी, हाँ। देश में आपूर्ति की गई ऊर्जा 2007-08 में 6,66,007 मिलियन यूनिट (एमयू) से बढ़कर 2017-18 में 12,04,697 एमयू हो गई है। विगत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में विद्युत की मांग और उत्पादन अनुबंध-1 में दिया गया है। 30 जून, 2018 की स्थिति के अनुसार, संस्थापित उत्पादन क्षमता लगभग 344 गीगावाट (जीडब्ल्यू) है जो देश में लगभग 170 जीडब्ल्यू की वर्तमान व्यस्ततम मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त से अधिक है।

(घ) : अब देश में उत्पादन क्षमता मांग से अधिक है। तथापि, मांग के भावी प्रक्षेपणों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से 2018-19 के लिए 8106.15 मेगावाट का क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके अतिरिक्त, नवीकरणीय ऊर्जा के तहत क्षमता अभिवृद्धि के लिए लक्ष्य 2021-22 तक 175 जीडब्ल्यू है।

(ङ): सरकार ने भविष्य में न्यूक्लियर पावर परियोजनाएं स्थापित करने के लिए गुजरात में निम्नलिखित स्थानों का सिद्धांततः अनुमोदन दिया है।

स्थान और स्थिति	क्षमता (मेगावाट)
विदेशी सहयोग से रिएक्टर	
छाया मिथि विर्दी, गुजरात	6X1000*

* सांकेतिक क्षमता

लोक सभा में दिनांक 26.07.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1500 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

विगत दो वर्षों और चालू वर्ष की विद्युत की ऊर्जा मांग			
राज्य / क्षेत्र	अप्रैल, 2018 - जून, 2018	अप्रैल, 2017 - मार्च, 2018	अप्रैल, 2016 - मार्च, 2017
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)
चंडीगढ़	457	1,610	1,645
दिल्ली	9,889	31,826	30,829
हरियाणा	14,025	50,775	48,895
हिमाचल प्रदेश	2,370	9,399	8,831
जम्मू एवं कश्मीर	4,838	18,808	17,398
पंजाब	14,320	54,812	53,098
राजस्थान	19,345	71,194	67,838
उत्तर प्रदेश	32,502	1,20,052	1,07,569
उत्तराखण्ड	3,670	13,457	13,069
उत्तरी क्षेत्र	1,01,417	3,71,934	3,49,172
छत्तीसगढ़	6,358	25,916	23,750
गुजरात	30,788	1,09,984	1,03,706
मध्य प्रदेश	16,633	69,925	65,759
महाराष्ट्र	42,183	1,49,761	1,39,295
दमन व दीव	665	2,534	2,398
दादरा व नगर हवेली	1,597	6,168	6,021
गोवा	1,159	4,117	4,319
पश्चिमी क्षेत्र	99,382	3,68,405	3,45,247
आंध्र प्रदेश	15,879	58,384	54,300
तेलंगाना	14,143	60,319	53,030
कर्नाटक	16,762	67,869	66,899
केरल	6,354	25,002	24,296
तमिलनाडु	28,999	1,06,006	1,04,511
पुडुचेरी	732	2,668	2,548
लक्षद्वीप	12	47	48
दक्षिणी क्षेत्र	82,868	3,20,248	3,05,588
बिहार	7,884	27,019	25,711
डीवीसी	5,604	21,549	18,929
झारखण्ड	2,117	7,907	7,960
ओडिशा	8,232	28,802	26,758
पश्चिम बंगाल	13,876	50,760	47,948
सिक्किम	119	485	475
अंडमान व निकोबार	87	328	240
पूर्वी क्षेत्र	37,833	1,36,522	1,27,783
अरुणाचल प्रदेश	205	799	729
असम	2,355	9,094	9,020
मणिपुर	199	874	764
मेघालय	420	1,557	1,715
मिजोरम	148	497	514
नागालैंड	219	794	757
त्रिपुरा	381	2,602	1,644

पूर्वोत्तर क्षेत्र	3,928	16,216	15,140
अखिल भारत	3,25,428	12,13,326	11,42,928
# लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह स्टैंड-अलोन प्रणालियां हैं, इनकी विद्युत आपूर्ति स्थिति क्षेत्रीय मांग और उपलब्धता का भाग नहीं है।			

अंतिम दो वर्षों और चालू वर्ष के लिए राज्य-वार उत्पादन						
क्षेत्र	राज्य	30.06.2018 की स्थिति के अनुसार निगरानी की गई क्षमता मेगावाट	उत्पादन (एमयू)			
			2018-19 (जून, 18 तक)*	2017-18	2016-17	
उत्तरी क्षेत्र	बीबीएमबी	2866.30	2278.71	10864.14	10570.00	
	दिल्ली	3048.40	2266.63	7048.70	6253.26	
	हरियाणा	5971.59	7279.20	26605.97	18890.44	
	हिमाचल प्रदेश	6934.02	7267.27	28412.65	26853.98	
	जम्मू एवं कश्मीर	3624.00	5113.61	14937.56	15377.69	
	पंजाब	7591.00	6951.53	28958.56	26492.18	
	राजस्थान	11114.13	12949.24	51643.61	51792.17	
	उत्तर प्रदेश	24183.74	32335.46	128542.28	120142.11	
	उत्तराखण्ड	4206.35	3567.15	15606.60	14250.54	
उत्तरी क्षेत्र कुल		69539.53	80008.80	312620.07	290622.37	
पश्चिमी क्षेत्र	छत्तीसगढ़	23088.00	30319.94	110041.76	105686.18	
	गोवा	48	0	0	0	
	गुजरात	25473.41	20021.84	96519.87	99748.61	
	मध्य प्रदेश	19460	30033.13	111333.00	98599.98	
	महाराष्ट्र	32720.08	36890.17	124308.77	118091.71	
पश्चिमी क्षेत्र कुल		100789.49	117265.08	442203.40	422126.48	
दक्षिणी क्षेत्र	आंध्र प्रदेश	17657.2	16508.34	61851.80	65248.16	
	कर्नाटक	14170.52	12040.63	44668.81	43766.67	
	केरल	2575.04	1709.68	5248.02	4130.61	
	पुडुचेरी	32.5	61.59	226.45	246.84	
	तमिलनाडु	18832.08	21823.59	82386.30	84581.68	
	तेलंगाना	9518.1	12108.04	49913.97	43391.23	
	दक्षिणी क्षेत्र कुल		62785.44	64251.87	244295.35	241365.19
पूर्वी क्षेत्र	अंडमान व निकोबार	40.05	42.62	258.79	215.56	
	बिहार	5480	7462.43	28440.03	24514.85	
	डीवीसी	7233.2	10371.03	35950.56	33566.47	
	झारखण्ड	2380	3612.25	13997.33	14727.43	
	ओडिशा	9822.25	12693.31	46512.83	55841.18	
	सिक्किम	2169	2525.80	8887.99	4330.40	
	पश्चिम बंगाल	10883	13777.38	52381.91	52192.69	
	पूर्वी क्षेत्र कुल		38007.5	50484.82	186429.44	185388.58
पूर्वोत्तर क्षेत्र	अरुणाचल प्रदेश	515	366.22	1416.74	1249.01	
	असम	1404.45	1693.39	5972.12	5981.37	
	मणिपुर	141	168.78	837.74	741.07	
	मेघालय	372	295.02	1401.03	916.70	
	मिजोरम	60	42.67	78.37		
	नागालैंड	75	52.06	274.39	258.94	
	त्रिपुरा	1132.1	1533.39	5999.27	5873.89	
पूर्वोत्तर कुल		3699.55	4151.53	15979.66	15020.98	
आयात	भूटान (आईएमपी)		738.55	4778.33	5617.34	
आयात कुल			738.55	4778.33	5617.34	
सकल योग		274821.51	316900.65	1206306.25	1160140.94	

* अंतिम आधार पर वास्तविक-सह-मूल्यांकन

टिप्पणी:

1. परंपरागत स्रोतों (ताप, जल विद्युत और नाभिकीय) से केवल 25 मेगावाट और उससे अधिक क्षमता वाले केंद्रों से सकल उत्पादन।
2. ऊपर दिए गए आंकड़े संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में भौगोलिक रूप से स्थित सभी विद्युत संयंत्रों (केंद्रीय, राज्य और निजी क्षेत्र) का सकल उत्पादन दर्शाते हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1503

जिसका उत्तर 26 जुलाई, 2018 को दिया जाना है ।

जल विद्युत और ताप विद्युत संभावनाएं

1503. श्री मल्लिकार्जुन खड़गे:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान ताप विद्युत और जल विद्युत उत्पादन का ब्यौरा क्या है;
- (ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में आयातित कोयले एवं देश में उत्पादित कोयले की मात्रा का ब्यौरा क्या है तथा अगले तीन वर्षों के दौरान कोयले के संभावित आयात एवं कोयले के संभावित घरेलू उत्पादन का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने देश में नई जल विद्युत परियोजनाएं अपनाई हैं; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं तथा देश में जल-विद्युत और ताप-विद्युत उत्पादन की संभावनाओं के दोहन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान ताप तथा जल विद्युत उत्पादन का ब्यौरा अनुबंध-1 पर दिया गया है।

(ख) : विद्युत संयंत्रों द्वारा आयात किए गए कोयले की मात्रा तथा विद्युत संयंत्रों द्वारा प्रयोग किए गए घरेलू कोयले का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	आयातित कोयला (एमटी)	घरेलू कोयला (एमटी)
2015-16	80.6	481
2016-17	66.1	495
2017-18	56.4	539

विद्युत संयंत्रों द्वारा आयात किए जाने वाले कोयले की संभावित मात्रा तथा विद्युत संयंत्रों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले नियोजित घरेलू कोयले का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	आयातित कोयला (एमटी)	घरेलू कोयला (एमटी)
2018-19	50.0	615
2019-20	50.0	653
2020-21	50.0	693

पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित कोयले की राज्य-वार/यूटिलिटी-वार प्राप्ति **अनुबंध-II** पर दी गई है।

वर्तमान वर्ष (2018-19) तथा अगले तीन वर्षों (2019-20, 2020-21, 2021-22) के दौरान विद्युत यूटिलिटीयों को आबंटित कोल ब्लॉकों से घरेलू कोयले के संभावित उत्पादन का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-III** पर दिया गया है।

(ग) : वर्तमान में, देश में 38 जल विद्युत परियोजनाएं (8637 मेगावाट) सर्वेक्षण तथा अन्वेषण के अधीन हैं, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने कुल 26,460 मेगावाट की संस्थापित क्षमता वाली जल विद्युत परियोजनाओं की 41 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को सहमति दी है तथा विभिन्न कारणों की वजह से अभी निर्माण शुरू किया जाना है। ये परियोजनाएं पर्यावरण/वन स्वीकृति न होने तथा अन्य संबंधित मुद्दों कारण लंबित हैं। कुल 1654 मेगावाट की संस्थापित क्षमता वाली जल विद्युत परियोजनाओं की 7 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) सीईए/सीडब्ल्यूडब्ल्यूसी/जीएसआई/सीएसएमआरएस/जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा संरक्षण मंत्रालय के विभिन्न मूल्यांकन समूहों में जांचाधीन हैं। इसके अतिरिक्त, वर्तमान में कुल 12208.05 मेगावाट की संस्थापित क्षमता की 38 जल विद्युत परियोजनाएं (25 मेगावाट से अधिक) देश में निर्माणाधीन हैं।

(घ) : देश में जल तथा ताप विद्युत उत्पादन क्षमता का संदोहन करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

ताप विद्युत उत्पादन

- विद्युत अधिनियम, 2003 के अधिनियमन के बाद, ताप विद्युत उत्पादन को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है तथा विद्युत संयंत्र विकासकर्ता विद्युत संयंत्र की स्थापना करने का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं।
- विद्युत संयंत्रों के लिए कोल ब्लॉकों का आबंटन।
- कोयला मंत्रालय ने केंद्र तथा राज्य के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अंतिम प्रयोक्ता संयंत्रों, जिन्हें कोयला खानों/कोयला ब्लॉक आबंटित किए जा चुके हैं, को ब्रिज लिंकेज प्रदान करने के लिए नीति दिशानिर्देश जारी किए थे। कुल 33320 मेगावाट की 27 ताप विद्युत परियोजनाओं के ब्रिज लिंकेज हेतु नीति दिशानिर्देशों के आधार पर ब्रिज लिंकेज दिया गया था।
- कोयला मंत्रालय ने मई, 2017 में विद्युत क्षेत्र के लिए एक नई और अधिक पारदर्शी कोयला आबंटन नीति, 2017- शक्ति (स्कीम फॉर हर्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला (कोल) ट्रांसपैरेंटली इन इंडिया) योजना जारी की है। यह नई कोल लिंकेज नीति विद्युत संयंत्रों द्वारा उनकी समय-सारणी के अनुसार कोयला

प्राप्त करने के लिए एक सही व्यवस्था सुनिश्चित करेगी और यह भी सुनिश्चित करेगी कि सभी परियोजनाओं को उनकी पात्रता के अनुसार कोयले की आपूर्ति हो रही है।

जल विद्युत उत्पादन:

- i. देश में जल विद्युत क्षमता का संदोहन तथा जल विद्युत विकास को बढ़ाने के लिए सरकार ने विगत में भी गई नीतिगत पहलें शुरू की हैं।
- ii. इन परियोजनाओं का शीघ्र निर्माण करने और चालू करने के लिए सीईए, विद्युत मंत्रालय के स्तर पर विभिन्न निगरानी तंत्र हैं।

लोक सभा में दिनांक 26.07.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1503 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

विगत तीन वर्षों के दौरान ताप एवं जल विद्युत उत्पादन

श्रेणी	2017-18 में उत्पादन (एमयू में)	2016-17 में उत्पादन (एमयू में)	एमयू = मिलियन यूनिट 2015-16 में उत्पादन (एमयू में)
ताप	1037059.10	994230.17	943787.70
जल विद्युत	126122.70	122377.56	121376.75
सकल योग	1163181.80	1116607.73	1065164.45
* अनंतिम आधार पर वास्तविक-सह-मूल्यांकन			
टिप्पणी: 1. केवल 25 मेगावाट और उससे अधिक क्षमता वाले ताप एवं जल विद्युत उत्पादन केंद्रों से उत्पादन			

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 26.07.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1503 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

विगत तीन वर्षों के लिए आयातित कोयले की विद्युत यूटिलिटी-वार ब्यौरा

क्र.सं.	विद्युत यूटिलिटी	2015-16	2016-17	2017-18
		मिलियन टन	मिलियन टन	मिलियन टन
क	घरेलू कोयले पर आधारित विद्युत संयंत्रों का डिजाइन			
राज्य क्षेत्र				
1	एचपीजीसीएल	0.20	0.00	0.00
2	पीएसपीसीएल	0.50	0.00	0.00
3	आरवीयूएनएल	0.26	0.00	0.00
4	यूपीआरवीयूएनएल	0.00	0.00	0.00
5	एमपीपीजीसीएल	0.38	0.05	0.00
6	जीएसईसीएल	0.84	0.13	0.81
7	एमएसपीजीसीएल	1.18	0.39	0.00
8	एपीजेनको	0.23	0.00	0.00
9	एपीपीडीसीएल (दामोदरन संजीवैय्या)	0.10	0.77	0.38
10	टैनजेडको	5.71	3.99	1.71
11	केपीसीएल	0.54	0.45	0.00
12	डब्ल्यूवीपीडीसीएल	0.00	0.00	0.01
	कुल-राज्य क्षेत्र	9.93	5.77	2.92
केंद्र क्षेत्र				
13	एनटीपीसी	9.45	1.03	0.32
14	एनटीपीसी-संयुक्त उद्यम (इंदिरा गांधी)	0.32	0.00	0.00
15	एनटीईसीएल (वल्लूर-एनटीपीसी और तमिलनाडु का संयुक्त उद्यम)	1.86	1.92	0.30
16	एनटीपीएल (तूतीकोरिन-एनएलसी और तमिलनाडु का संयुक्त उद्यम)	1.29	2.17	0.43
17	एनटीपीसी सेल (भिलाई)	0.06	0.00	0.00
18	डीवीसी	0.00	0.00	0.00
	कुल-केंद्र क्षेत्र	12.98	5.11	1.05
निजी क्षेत्र (आईपीपी)				
19	टोरेट (साबरमती सी)	0.59	0.41	0.43
20	रिलायंस (दहानु)	0.42	0.11	0.43
21	वेदांता (झारसुगुडा)	0.33	0.18	0.00
22	रिलायंस (रोसा)	0.16	0.00	0.00
23	टाटा (मैथॉन आरबी)	0.00	0.00	0.00

24	जेपीएल (महात्मा गांधी)	0.50	0.07	0.00
25	लैनको (अनपारा)	0.29	0.00	0.00
26	लैनको (पथादि)	0.00	0.00	0.00
27	जेपी बीना	0.00	0.00	0.00
28	टीएसपीएल (तलवंडी साबो)	0.23	0.47	0.83
29	एपीएमएल (तिरौरा)	1.94	0.05	1.23
30	मोजर बेयर (अनूपपुर)	0.00	0.00	0.00
31	जीएमआर वररौरा एनर्जी	0.04	0.00	0.00
32	जीएमआर (कमलांगा)	0.75	0.43	0.34
33	डब्ल्यूपीसीएल (वरौरा)	0.03	0.00	0.00
34	बजाज एनर्जी	0.00	0.00	0.00
35	एपीआरएल (कवई)	3.50	2.81	1.66
36	जिंदल पावर (तमनार एवं ओपी जिंदल)	0.35	0.06	0.06
37	हल्दिया एनर्जी	0.53	0.38	0.08
38	वीआईपीएल (बूटीबोरी)	0.56	0.17	0.08
39	थर्मल पावरटेक (पैनामपुरम)	2.10	2.65	2.87
40	केएसके (अकलतारा)	0.09	0.05	0.04
41	नाभा पावर (राजपुरा)	0.35	0.42	0.51
42	रतन टाटा (अमरावती)	1.07	0.19	0.11
43	आधुनिक पावर (महादेव प्रसाद)	0.07	0.01	0.00
44	एलपीजीसीएल (ललितपुर)	0.10	0.02	0.00
45	एचएनपीसीएल (विजाग)	0.10	0.19	0.09
46	एमसीसीपीएल (बंदाखार)	-	0.01	0.00
47	सीईएससी	0.26	0.22	0.02
48	सांबोकोर्प गायत्री पावर लि. (एसजीपीएल)	-	-	4.30
	कुल-निजी क्षेत्र	14.36	8.87	13.08
	उप योग (क)	37.27	19.76	17.04
ख	आयातित कोयला पर आधारित विद्युत संयंत्रों का डिजाइन			
	राज्य क्षेत्र			
47	जीएसईसीएल (सिक्का)#	0	1.08	1.33
	कुल-राज्य क्षेत्र	0	1.081	1.325
	निजी क्षेत्र (आईपीपी)			
48	टाटा पावर (द्राम्बे)	2.70	2.45	2.49
49	जेएसडब्ल्यू एनर्जी (रत्नगिरि और तोरांगुल्लु)	5.66	4.26	3.97
50	अदानी पावर (कुंद्रा)*	16.77	15.67	10.97
51	अदानी (उडुप्पी)	3.37	3.47	2.49
52	तटीय गुजरात (मुंद्रा यूएमपीपी)	9.30	10.99	11.14
53	एस्सार (सलाया)	2.02	2.49	1.17
54	सिम्हापुरी एनर्जी (सिम्हापुरी)	2.57	0.80	0.07
55	मीनाक्षी एनर्जी (थमिनापट्टनम)	1.12	0.92	0.36
56	इंड बराथ (तूतीकोरिन)	0.00	0.00	0.00

56	तटीय एनर्जेन (मुटियारा)	0.00	2.40	2.39
57	आईएल एंड एफएस (आईटीपीसीएल-कुड्डालोर)	0.00	1.77	3.01
	कुल-निजी क्षेत्र	43.50	45.22	38.04
	उप योग (ख)	43.50	46.30	39.37
	कुल (क+ख)	80.78	66.05	56.41

* 70 घरेलू : 30 आयात पर आधारित मुद्रा चरण-III (1980 मेगावाट) सहित डिजाइन

अनुबंध-III

लोक सभा में दिनांक 26.07.2018 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 1503 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

विद्युत यूटिलिटीयों को आवंटित कोयला ब्लॉकों से चालू वर्ष और आगामी तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कोयला उत्पादित किए जाने की संभावना

क्र.सं.	राज्य	कोयला ब्लॉक का नाम	संगठन	आंकड़े एमटीपीए में			
				2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	ओडिशा	दुलांगा	एनटीपीसी लिमिटेड	1.5	2.5	4.5	7
2	ओडिशा	मनोहरपुर और डीप साइड मनोहरपुर कोयला ब्लॉक	ओसीपीएल	0	1	2.5	5
3	छत्तीसगढ़	तलाईपल्ली	एनटीपीसी लिमिटेड	1.5	4	5	6
4	छत्तीसगढ़	गारे पालमा सेक्टर-III कोयला ब्लॉक	सीएसपीजीसीएल	0.5	1.5	3	4
5-6	छत्तीसगढ़	गिद्धमुरी और पतुरिया कोयला ब्लॉक	सीएसपीजीसीएल	2.2	4	5.6	5.6
7-8	छत्तीसगढ़	परसा पूर्व और कांता बसन	आरवीयूएनएल	10	10	10	10
9	छत्तीसगढ़	परसा	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	0	1.5	3	5
10-11	झारखण्ड	चट्टी बरियातु, चट्टी बरियातु दक्षिण	एनटीपीसी लिमिटेड	1	3	4	5
12	झारखण्ड	केरानदारी	एनटीपीसी लिमिटेड	-	0.3	1	1.5
13	झारखण्ड	पकरी-बरवाडी	एनटीपीसी लिमिटेड	6.25	6.25	6.25	6.25
14	झारखण्ड	ट्यूब्ड	डीवीसी	-	-	1	2.15
15	झारखण्ड	पछवाड़ा केंद्रीय कोयला खदान	पीएसपीसीएल	1.75	7	7	7
16	झारखण्ड	पछवाड़ा उत्तरी	डब्ल्यूबीपीडीसीएल	2	6	10	15
17	झारखण्ड	जितपुर	अदानी पावर लिमिटेड	0	1	2.5	2.5
18	पश्चिम बंगाल	खगड़ा जयदेव	दामोदर वैली कारपोरेशन	-	1	2	3
19	पश्चिम बंगाल	ट्रांस दामोदर कोयला खदान	द दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लि.	0.5	1	1	1
20	पश्चिम बंगाल	बरजोरा उत्तरी	डब्ल्यूबीपीडीसीएल	1.5	2.5	3	-
21	पश्चिम बंगाल	बरजोरा	डब्ल्यूबीपीडीसीएल	0.5	0.5	0.5	-
22-23	पश्चिम बंगाल	गंगारामचक और गंगारामचक भदुलिया	डब्ल्यूबीपीडीसीएल	0	0.5	0.5	0.5
24	पश्चिम बंगाल	सरिसटोली	सीईएससी लिमिटेड	2	2	2	2
25	मध्य प्रदेश	अमेलिया उत्तरी	जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड	2.8	2.8	2.8	2.8
26-27	मध्य प्रदेश	मोहेर, मोहेर अमलोहरी एक्सटेंशन	रिलायंस पावर	17	17	17	17
28	तेलंगाना	तडीचेरला-I	टीएसजेनको	0	0.8	1.8	2.5
29-34	महाराष्ट्र	बरांज-I से IV, किलोनी, मनोरा दीप	केपीसीएल	2.5	3.75	5	5
			कुल अनुमानित कोयला उत्पादन (एमटीपीए)	53.5	79.9	100.95	115.8

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1522

जिसका उत्तर 26 जुलाई, 2018 को दिया जाना है ।

ताप विद्युत संयंत्र

1522. श्री अरविंद सावंतः

श्री कृपाल बालाजी तुमानेः

श्रीमती रेखा वर्माः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में उत्पादित ताप विद्युत की मात्रा कितनी है;

(ख) क्या ताप विद्युत संयंत्र अपनी क्षमता से आधे पर काम कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि आने वाले वर्षों में नवीकरण ऊर्जा उत्पादन क्षमता में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण ताप विद्युत संयंत्र बुरी तरह प्रभावित होंगे;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं; और

(च) देश में अधिक विद्युत उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विद्युत उत्पादन वृद्धि हेतु सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ग) : वर्ष 2017-18 के दौरान, ताप विद्युत संयंत्रों से 1037 बिलियन यूनिट (बीयू) उत्पादन हुआ था और संयंत्र भार घटक 60.72% था। 274.6 बीयू के ताप विद्युत उत्पादन से चालू वर्ष 2018-19 (जून, 2018 तक) के दौरान संयंत्र भार घटक बढ़कर 63.24% हो गया है।

(घ) से (च) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने राष्ट्रीय विद्युत योजना में अनुमान लगाया है कि 19वें इलैक्ट्रिक विद्युत सर्वे (ईपीएस) द्वारा लगाए गए पूर्वानुमान के अनुसार मांग नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों (आरईएस) से 175 गीगावाट सहित नियोजित उत्पादन क्षमताओं से पूरी की जाएगी। 2021-22 के दौरान कोयला आधारित क्षमता का संभावित पीएलएफ 56.5% होने की संभावना है। 2017-18 तथा चालू वर्ष 2018-19 (जून, 2018 तक) के दौरान यह अवलोकन किया गया है कि नवीकरणीय उत्पादन ने कोयले का संरक्षण करने में इलैक्ट्रिसिटी ग्रिड की सहायता की है और देश की आधार भार मांग को पूरा करने के लिए इसका ईष्टतम प्रयोग किया है।

देश में अधिक विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित करने को ध्यान में रखते हुए विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- i. विभिन्न योजनाओं जैसे 'सभी के लिए विद्युत', 'सौभाग्य', 'मेक इन इंडिया' आदि से विद्युत की मांग बढ़ेगी जिसके फलस्वरूप देश में कोयला आधारित क्षमता के पीएलएफ में सुधार होगा।
- ii. विद्युत संयंत्रों के लिए कोल ब्लॉकों का आबंटन।
- iii. कोयला मंत्रालय ने केंद्र तथा राज्य के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अंतिम प्रयोक्ता संयंत्रों जिन्हें कोयला खानों/कोयला ब्लॉक आबंटित किए जा चुके हैं, को ब्रिज लिंकेज प्रदान करने के लिए नीति दिशानिर्देश जारी किए थे। कुल 33320 मेगावाट की 27 ताप विद्युत परियोजनाओं के ब्रिज लिंकेज हेतु नीति दिशानिर्देशों के आधार पर ब्रिज लिंकेज दिया गया था।
- iv. कोयला मंत्रालय ने मई, 2017 में विद्युत क्षेत्र के लिए नई और अधिक पारदर्शी कोयला आबंटन नीति, 2017-शक्ति (स्कीम फॉर हर्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला (कोल) ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया) योजना जारी की है। यह नई कोल लिंकेज नीति विद्युत संयंत्रों द्वारा उनकी समय-सारणी के अनुसार कोयला प्राप्त करने के लिए एक सही व्यवस्था सुनिश्चित करेगी और यह भी सुनिश्चित करेगी कि सभी परियोजनाओं को उनकी पात्रता के अनुसार कोयले की आपूर्ति हो रही है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1537

जिसका उत्तर 26 जुलाई, 2018 को दिया जाना है।

‘सौभाग्य’ योजना के अंतर्गत विद्युत कनेक्शन

1537. श्री सुशील कुमार सिंह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने प्रधानमंत्री ‘सहज बिजली-हर घर’ योजना, ‘सौभाग्य’ के कार्यान्वयन आरंभ किया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ए.पी.एल. और बी.पी.एल. परिवारों को निःशुल्क प्रदान किए गए विद्युत कनेक्शनों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या ‘सौभाग्य’ योजना के अंतर्गत अनेक राज्यों में विशेष रूप से बिहार में ए.पी.एल. और बी.पी.एल. परिवारों को विद्युत कनेक्शन प्रदान नहीं किए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या केंद्र और राज्य सरकार ने इस संबंध में बातचीत की है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ङ) : प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-"सौभाग्य" के अंतर्गत देश में सभी शेष गैर-विद्युतीकृत गरीब ग्रामीण घरों एवं शहरी गरीब घरों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र के गैर-निर्धन परिवारों से डिस्कॉमों/विद्युत विभागों द्वारा बिजली के बिलों के साथ 10 समान किस्तों में रु.500/- वसूल किए जाएंगे।

राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार सौभाग्य योजना की शुरुआत से 30.06.2018 तक की स्थिति के अनुसार बिहार सहित देश में 79.34 लाख घरों (निर्धन एवं गैर-निर्धन) को विद्युतीकृत कर दिया गया है। राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है। सौभाग्य के अंतर्गत बिहार के लिए 693.61 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 26.07.2018 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 1537 के भाग (क) से (ड) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

सौभाग्य के अंतर्गत घरों के विद्युतीकरण का राज्य-वार ब्यौरा

30.06.2018 की स्थिति के अनुसार

क्र.सं.	राज्य का नाम	11.10.2018 से विद्युतीकृत घर
1	आंध्र प्रदेश	94,546
2	अरुणाचल प्रदेश	1,725
3	असम	3,00,031
4	बिहार	15,16,345
5	छत्तीसगढ़	3,92,331
6	गुजरात	23,761
7	हरियाणा	8,190
8	हिमाचल प्रदेश	2,866
9	जम्मू एवं कश्मीर	5,165
10	झारखण्ड	3,98,182
11	कर्नाटक	1,28,909
12	मध्य प्रदेश	15,56,117
13	महाराष्ट्र	4,27,847
14	मणिपुर	34,001
15	मेघालय	26,791
16	मिजोरम	4,646
17	नागालैंड	27,687
18	ओडिशा	2,83,302
19	पुडुचेरी	852
20	पंजाब	386
21	राजस्थान	2,66,622
22	सिक्किम	1,313
23	तमिलनाडु	2,170
24	तेलंगाना	71,111
25	त्रिपुरा	69,788
26	उत्तर प्रदेश	19,63,355
27	उत्तराखण्ड	9,370
28	पश्चिम बंगाल	3,17,409
	कुल	79,34,818

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1554

जिसका उत्तर 26 जुलाई, 2018 को दिया जाना है।

गांवों का विद्युतीकरण

1554. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:

कुमारी सुष्मिता देव:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या केन्द्र सरकार ने हाल ही में यह घोषणा की है कि देश के सभी गांवों में बिजली पहुंच चुकी है;
- (ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार द्वारा की गई यह घोषणा किन्हीं तथ्यों और वास्तविक स्थिति पर आधारित है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या संपूर्ण देश की कई विद्युत वितरण कंपनियों ने गांवों में 100 प्रतिशत बिजली पहुंचाने संबंधी केन्द्र सरकार के दावे को खारिज किया है; और
- (ङ) यदि हां, तो विद्युत वितरण कंपनियों का दावा किस सीमा तक तथ्यात्मक रूप से सही है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ङ): राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 28.04.2018 को संपूर्ण देश में सभी आवासित जनगणना गाँवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है। गाँवों के विद्युतीकरण से संबंधित आंकड़े संबंधित राज्य डिस्कॉम/विद्युत विभाग द्वारा अद्यतन किए जाते हैं। इस संबंध में राज्य विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा कोई विसंगति सूचित नहीं की गई है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1559

जिसका उत्तर 26 जुलाई, 2018 को दिया जाना है।

विद्युतीकरण योजनाओं के लिए वित्तपोषण प्रणाली

1559. श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार ने बारहवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान राज्यों को वित्तीय अनुदान प्रदान करने के उद्देश्य के साथ विद्युतीकरण योजनाओं हेतु अपनी वित्तपोषण प्रणाली को पुनर्गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राजस्थान सहित देश में चल रही विभिन्न केंद्रीय परियोजनाओं के अंतर्गत प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) गाँवों के विद्युतीकरण और ग्रामीण विद्युत नेटवर्क के सुदृढीकरण के उद्देश्य से 12वीं योजना की अवधि (2014) में शुरू की गई थी। योजना की निधियन पद्धति में विशेष श्रेणी के राज्यों के अलावा अन्य राज्यों को भारत सरकार द्वारा अनुदान के रूप में परियोजना लागत का 60% (विशेष श्रेणी के राज्यों अर्थात् सिक्किम सहित पूर्वोत्तर के सभी राज्यों, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड के लिए लिए 85%) वहन किया जाएगा।

न्यूनतम 10% (विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 5%) राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी द्वारा अपने संसाधनों से दिया जाएगा और शेष 30% (विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 10%) राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी द्वारा ऋण अथवा अपने स्रोतों से व्यवस्था की जाएगी। ऋण सामान्यतः पावर फाइनेंस कारपोरेशन /रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा दिया जाता है।

निर्धारित लक्ष्यों जैसे समय पर पूरा करना, आवासों का समय पर विद्युतीकरण, एटीएंडसी हानियों में कमी तथा राज्य सरकार द्वारा राजस्व सब्सिडी का नकद भुगतान करने पर भारत सरकार द्वारा ऋण घटक के 50% का रूपांतरण करके 15% (विशेष श्रेणी राज्यों के मामले में 5%) तक अतिरिक्त अनुदान उपलब्ध कराई जाएगी।

(ग) : 28.04.2018 की स्थिति के अनुसार, संपूर्ण देश में सभी आवासित गैर-विद्युतीकृत जनगणना गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है। आरई घटक सहित डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत, राजस्थान सहित संपूर्ण देश में 30.06.2018 तक 531898 विद्युतीकृत गांवों का गहन विद्युतीकरण तथा 2.99 करोड़ बीपीएल घरों को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन देने का कार्य पूरा कर लिया गया है। राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 23.07.2018 की स्थिति के अनुसार सौभाग्य योजना की शुरुआत के बाद राजस्थान सहित संपूर्ण देश में 90.68 लाख आवासों को विद्युतीकृत कर दिया गया है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1602

जिसका उत्तर 26 जुलाई, 2018 को दिया जाना है ।

एनटीपीसी द्वारा क्षमता वर्धन

1602. श्री राम चरित्र निषाद:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या एनटीपीसी मार्च, 2019 तक 6900 मेगावाट की नवीन विद्युत सृजन क्षमता वर्धन हेतु 16000 करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या एनटीपीसी वर्तमान में 21000 मेगावाट क्षमता में वृद्धि करने पर कार्य कर रही है और परियोजनाएं कार्यनिष्पादन के विभिन्न चरणों पर हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या एनटीपीसी ने वर्ष 2018-19 हेतु 23000 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय की योजना बनाई है जिसमें हरित क्षेत्र मार्ग के माध्यम से क्षमता वर्धन हेतु ऋण और इक्विटी आवश्यक रूप से शामिल है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

- (क) : एनटीपीसी 9881.27 करोड़ रुपए के बजटीय व्यय से 2018-19 में 5680 मेगावाट की नई क्षमता जोड़ने की योजना बना रहा है। ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।
- (ख) : वर्तमान में, 21071 मेगावाट की एनटीपीसी परियोजनाएं (संयुक्त उद्यम एवं सहायक कंपनियों सहित) निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं। ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।
- (ग) और (घ) : वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए एनटीपीसी ने 22300 करोड़ रुपए (जिनमें ग्रीन फील्ड परियोजनाओं के साथ-साथ विस्तार परियोजनाएं शामिल हैं) के पूंजीगत व्यय की योजना बनाई है जिसका वित्तपोषण 12467.83 करोड़ रुपए के ऋण तथा 9,832.17 करोड़ रुपए की इक्विटी के जरिए किया जाएगा।

अनुबंध-1

लोक सभा में दिनांक 26.07.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1602 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

क्रम सं.	परियोजना	क्षमता (मेगावाट)	बजट अनुमान 2018-19 (रु. करोड़ में)
1	कुडगी-1 यूनिट#3	800	844.90
2	एमयूएनपीएल-मेजा यूनिट#1	660	1062.35
3	लारा-1 यूनिट#1	800	1323.41
4	बोंगईगांव यूनिट#3	250	346.54
5	गदरवाड़ा यूनिट#1	800	1157.90
6	बीआरबीसीएल-नबीनगर यूनिट#3	250	624.14
7	एनपीजीसीपीएल-नबीनगर यूनिट#1	660	2148.54
8	दार्लीपल्ली यूनिट#1	800	1691.89
9	सोलापुर यूनिट#2	660	681.60
	कुल	5680	9881.27

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 26.07.2018 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 1602 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परियोजना	ईंधन का प्रकार	क्षमता (मेगावाट)
एनटीपीसी के स्वामित्व वाली परियोजनाएं				
1.	असम	बोंगईगांव	कोयला	250
2.	बिहार	बाढ़-I	कोयला	1980
3.	छत्तीसगढ़	लारा-I	कोयला	800
4.	झारखण्ड	नार्थ करनपुरा	कोयला	1980
5.	मध्य प्रदेश	खारगोन	कोयला	1320
6.	मध्य प्रदेश	गदरवाड़ा -I	कोयला	1600
7.	महाराष्ट्र	सोलापुर	कोयला	660
8.	ओडिशा	दार्लीपल्ली-I	कोयला	1600
9.	उत्तर प्रदेश	टांडा-II	कोयला	1320
10.	उत्तराखंड	तपोवन विष्णुगढ़	जल	520
11.	उत्तराखंड	लता तपोवन	जल	171
12.	पश्चिम बंगाल	रम्मम-III	जल	120
13.	तेलंगाना	तेलंगाना	कोयला	1600
उप जोड़				13921
सहायक/संयुक्त उद्यम परियोजनाएं				
14.	झारखण्ड	पत्रातु, पीवीयूएनएल	कोयला	2400
15.	बिहार	नबीनगर, बीआरबीसीएल	कोयला	500
16.	बिहार	नबीनगर, एनपीजीसीपीएल	कोयला	1980
17.	उत्तर प्रदेश	मेजा, एमयूएनपीएल	कोयला	660
18.	ओडिशा	राउरकेला पीपी -II	कोयला	250
19.	पश्चिम बंगाल	दुर्गापुर पावर प्रोजेक्ट III	कोयला	40
20.	बांग्लादेश	खुल्ना संयुक्त उद्यम (बीआईएफपीसीएल)	कोयला	1320
उप जोड़				7150
सकल योग (मेगावाट)				21,071

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1603

जिसका उत्तर 26 जुलाई, 2018 को दिया जाना है ।

विद्युत योजनाएं

1603. श्री भैरों प्रसाद मिश्र:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण योजना सहित विद्युत संबंधी खामियों को ठीक करने हेतु एक नवीन तंत्र विकसित किया है या विकसित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रभावित उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने हेतु नवीन कार्मिकों की नियुक्ति इत्यादि सहित नवीन तंत्र कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ग) : विद्युत संविधान की समवर्ती सूची में है। विद्युत की आपूर्ति में हुए व्यवधान को सही करने सहित विद्युत के वितरण और संबद्ध कार्य राज्य सरकारों/विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉमों) द्वारा किए जाते हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1605

जिसका उत्तर 26 जुलाई, 2018 को दिया जाना है ।

कोल इंडिया लिमिटेड को बकाया भुगतान

1605. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) का अनेक राज्यों पर बकाया है जिससे राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत कम्पनियों में कोयले की आपूर्ति प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रही है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) यदि नहीं, तो हरियाणा में राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत कम्पनियों में महत्वपूर्ण/अति महत्वपूर्ण निम्न कोयला भंडार उपलब्ध होने के क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ग) : राज्य/केंद्रीय विद्युत उत्पादन कंपनियां (जेनकोज) उन्हें आपूर्ति किए गए कोयले के लिए कोल इंडिया लिमिटेड को नियमित भुगतान करती हैं। देय बकायों का भी जेनकोज द्वारा समय-समय पर भुगतान किया जाता है। हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (एचपीजीसीएल) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, उन्होंने कोयले की आपूर्ति के लिए कोयला कंपनियों के भुगतान में कभी कोई चूक नहीं की है।

चालू वर्ष के दौरान, एचपीजीसीएल को कोयले की आपूर्ति आनुपातिक वार्षिक संविदागत मात्रा (एसीक्यू) का 76% थी।

एचपीजीसीएल के विद्युत संयंत्रों में कोयला स्टॉक की स्थिति अनुबंध में दी गई है।

उच्च विद्युत मांग के कारण कोयले की खपत में वृद्धि हुई है। जून, 2018 के दौरान पूर्ति की गई विद्युत की व्यस्ततम मांग में वृद्धि लगभग 11.1% थी। कोयला मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, रेलवे और कोल इंडिया लिमिटेड हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के विद्युत संयंत्रों सहित सभी विद्युत संयंत्रों को कोयले की उपलब्धता में सुधार लाने के प्रयास कर रहे हैं।

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 26.07.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1605 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

22.07.2018 की स्थिति के अनुसार एचपीजीसीएल विद्युत संयंत्रों को कोयला आपूर्ति की स्थिति

क्र.सं.	विद्युत संयंत्र का नाम	वास्तविक भंडार 000'टन में	वास्तविक भंडार दिनों में
1	पानीपत टीपीएस	36.03	4
2	राजीव गांधी टीपीएस	53.35	5
3	यमुना नगर टीपीएस	20.29	2
